प्रकाशन का 45 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई-पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 45 अंक 5 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 27-03 फरवरी 2020 मूल्य पांच रूपए

क्या इस तरह का होगा हिन्दु राष्ट्र 'नया भारतीय संविधान' वायरल होने से उठी चर्चा

शिमला/शैल। पिछले कुछ अरसे से सोशल मीडिया के मंच पर ''नया भारतीय संविधान'' चर्चा में चल रहा है। यह चर्चा नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे धरना प्रदर्शन के मंच पर भी उठ चुकी है। यह कथित ''नया भारतीय संविधान'' संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा तैयार करवाया गया कहा जा रहा है और इसके कवर पृष्ठ पर मोहन भागवत का फोटो भी छपा हुआ है। सोशल मीडिया में सोलह पृष्ठों में इस कथित संविधान का सारांश छपा है और इस पर सुझाव भी आमन्त्रित किये गये हैं जिन्हे नागपुर स्थित संघ कार्यालय तथा दिल्ली में प्रधानमन्त्री कार्यालय को भेजा जा सकता है। अच्छे सुझावों पर दस हजार का ईनाम देने की भी घोषणा की गयी है। इसमें संघ मुख्यालय नागपुर और प्रधानमन्त्री कार्यालय दिल्ली दोनो को सुझाव भेजने की बात जिस तरह से की गयी है उससे यही संकेत उभरता है कि दोनो के संज्ञान से यह सब हो रहा है। जब इस कथित संविधान का प्रारूप वायरल होकर सोशल मीडिया में आ गया है तो निश्चित है कि यह सब सरकार की एजैन्सीयों के संज्ञान में भी होगा और उन्होने सरकार को भी इससे अवगत करवाया होगा। लेकिन अभी तक सरकार और संघ की ओर से कोई प्रतिक्रिया न आना इस कथित संविधान के तथ्य और कथ्य पर गंभीरता से विचार करने को बाध्य करता है।

संघ और भाजपा के रिश्ते सार्वजनिक हैं। भाजपा संघ परिवार की राजनीतिक ईकाई है और भजपा का संगठन मन्त्री सीधे संघ का प्रतिनिधि होता है यह पार्टी की भीतरी व्यवस्था है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा एक तरह से संघ से ही निर्देशित रहती है। 2014 में जब से भाजपा की सरकार आयी है तब से लेकर आज तक यह आरोप लगता आया है कि संघ हिन्दुत्व के ऐजैण्डे को देश में लागू करना चाहता है। आज भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है परन्तु संघ की लाईन का समर्थन करने वाले चाहते है कि पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बंग्लादेश और अफगानिस्तान की तर्ज पर यह धर्म पर आधारित राष्ट्र बन जाये। धर्म निरपेक्षता की जगह सरकार का स्वरूप धार्मिक हो जाये और अधिकारिक तौर पर हिन्दु धर्म उसका आधार हो। आज देश के अन्दर एनआरसी, सीएए और एनपीआर उभरे विरोध का पक्ष और विपक्ष यही हिन्दु राष्ट्र की अवधारणा है। जब सरकार अधिकारिक तौर पर एक धर्म का चयन कर लेगी तो निश्चित तौर पर उसका सारा काम काज उस धर्म की परिस्थापनाओं के अनुरूप चलेगा। इस संद्धर्भ में हिन्दु धर्म की प्रमाणिक परिस्थापनाओं का स्त्रोत मनुस्मृति माना जाता है। यदि सरकार धार्मिक होना स्वीकार कर लेती है तो उसका संचालन मनुस्मृति की व्यवस्थाओं के अनुसार होगा। इस समय जो यह कथित नया संविधान वायरल हुआ है यह एकदम मनुस्मृति की स्थापनाओं पर तैयार किया गया लगता है। इसलिये इस संविधान को व्यापक सार्वजनिक चर्चा में लाना आवश्यक हो जाता है।

कथित 'नया भारतीय संविधान'

- मोहन भागवत -

संविधान की आत्मा

1. भारत का यह नवीन संविधान हिंदू धर्म पर आधारित है।

2. इस संविधान के मुताबिक भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है। अब भारत की जगह केवल हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया जाएगा।

3. हिंदू धर्म की मान्यता है कि हर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न है, इसलिए हर एक मनुष्य को समान नागरिकता नहीं दी जा सकती है। नागरिकता का अधिकार धर्म ही होगा।

4. आजकल बहुत सारी जातियां और धर्म हो गये हैं इसलिए उनको एक सूत्र में पिरोना बहुत जरूरी है।

5. हिंदू धर्म के अनुसार चार वर्ण होते हैं। इस संविधान में समस्त जातियों और धर्मों को इन्हीं चार वर्णों में सम्मिलित किया गया है।

6. सरकारी नौकरियों में पदों का वितरण, संसद और विधान सभाओं में सदस्यों का चयन आदि इन चार वर्णों के आधार पर ही किया जाएगा।

7. किसी अपराधी की सजा का निर्णय हिंदू धर्म द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था के अनुसार होगा।

8. नारी को भगवान ने बच्चे पैदा करने के लिए ही बनाया है इसलिए उसके अधिकारों को हिंदू धर्म के अनुसार सीमित किया जा रहा है।

9. भारत का राष्ट्रगान वंदे मातरम होगा और राष्ट्रीय ध्वज भगवा होगा।

10. इस संविधान के अनुसार ब्राह्मण को सबसे पवित्र इंसान और गाय को सबसे पवित्र पशु घोषित किया जाता है।

11. यह नया संविधान 21 मार्च 2020 (हिंदू कैलेंडर का नया वर्ष) से लागू होगा।

(2) नागरिकता – हिंदू धर्म के आधार पर भारत में चार प्रकार के नागरिक बनाये जाएंगे -

1. प्रथम श्रेणी के नागरिक ब्राह्मण जाति के लोगों को भारत का प्रथम नागरिक घोषित किया जाता है जिनको सब तरह के नागरिक अधिकार प्राप्त होंगे।

2. द्वितीय श्रेणी के नागिरक – क्षत्रिय या ठाकुर जाति के लोगों को द्वितीय श्रेणी के नागिरक घोषित किया जाता है।

3. तृतीय श्रेणी के नागिरक – वैश्य या बनिया समुदाय के लोगों को तृतीय श्रेणी के नागिरक घोषित किया जाता है।

4. चतुर्थ श्रेणी के नागरिक – अन्य सभी जाति व धर्मो के लोगों को चतुर्थ श्रेणी के नागिरक घोषित किया जाता है। इन सब को शूद्र नाम से भी पुकारा जाएगा। इसमें बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, मुसलमान आदि धर्म के लोग सिम्मिलत किए जायेंगे। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों के लोग जैसे यादव, जाट, गुजर्र, कुर्मी, कुम्हार, नाई आदि शामिल किए जाएंगे। अन्य जातियां जो किसी वर्ण में नहीं है जैसे कि कायस्थ, पंजाबी आदि, उनको भी शूद्र वर्ण में शामिल किया जाएगा। नारी चाहे किसी भी वर्ण की हो उसको शूद्र वर्ण में ही गिना जाएगा।

पहचान का निशानः हर एक वर्ण के व्यक्ति के माथे पर उसके वर्ण का नाम गोदाना (Tattooing) होगा। जैसे कि ब्राह्मण के माथे पर ब्राह्मण, क्षत्रिय के माथे पर क्षत्रिय, वैश्य के माथे पर वैश्य और शूद्र के माथे पर शूद्र लिखा जाएगा। सरकार इस काम को 6 महीने में समाप्त करने के लिए जरूरी प्रावधान करेगी।

(3) राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, विधानसभा हिंदुस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री व मंत्री, सभी संसद सदस्य व विधानसभा के सदस्य ब्राह्मण ही होंगे। (वतर्मान के प्रधानमंत्री जो शूद्र वर्ण से आते हैं, इस संविधान को लागू करने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और अपने वर्ण के अनुसार काम करेंगे। इसी प्रकार से हिंदुस्तान के गृहमंत्री जोकि वैश्य वर्ण से आते हैं वे भी अपने पद से इस्तीफा देकर अपने वर्ण के अनुसार काम करेंगे)

(4) वोट का अधिकार

1. केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को वोट देने का अधिकार होगा। शूद्र और नारी को वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

2. ब्राह्मण के एक वोट की कीमत क्षत्रिय के 100 वोट व वैश्य के 1000 वोट के बराबर होगी। उदाहरण के लिए, एक चुनाव में यदि एक ब्राह्मण वोट डालता है और 99 क्षत्रिय या ठाकुर वोट डालते हैं तो ब्राह्मण के वोट की कीमत ज्यादा होगी और उसका उम्मीदवार विजयी होगा। इसी प्रकार से यदि किसी चुनाव में एक ब्राह्मण वोट डालता है और 999 वैश्य या बनिया वोट डालते हैं तो ब्राह्मण का उम्मीदवार विजयी होगा।

(5) शिक्षा का अधिकार

1. ब्राह्मण को किसी भी स्तर की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा जैसे स्नातक, पीएचडी इत्यादि।

2. क्षत्रिय को केवल 10 दसवीं पास करने का अधिकार होगा।

3. वैश्य को केवल पांचवी पास करने का अधिकार होगा।

4. शूद्र और स्त्री को कोई भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

(6) बोलने की स्वतंत्रता

1. ब्राह्मण किसी भी विषय पर कहीं भी, किसी के खिलाफ बोल सकता है। उसको पूरी आजादी है।

2. बाकी तीनों वर्णो के लोग किसी भी ब्राह्मण के या उसके कर्मो या निणर्यो के खिलाफ एक भी शब्द नही बोल सकते। यदि उन्होंने ऐसा किया तो उनकी जुबान काट ली जायेगी।

3. सजा के तौर पर क्षत्रियों की एक इंच, वैश्यों की दो इंच और शूद्रों की तीन इंच जुबान काट ली जायेगी।

(7) घूमने – फिरने का अधिकार

1. ब्राह्मण को पूरे हिन्दुस्तान में और विदेश में कहीं भी घूमने का अधिकार होगा जिसका खर्चा वैश्य समाज के व्यक्ति को वहन करना होगा।

2. अन्य तीनों वर्णो के लोग केवल हिन्दुस्तान में ही भ्रमण कर सकते हैं। उनको विदेशों में जाने की अनुमति नहीं होगी। अगर उनका कोई रिश्तेदार कहीं विदेश में रहता है तो उसको हिन्दुस्तान में वापिस आने की अनुमति नहीं होगी। इससे विदेशी सभ्यता भारत में नहीं आने पाएगी।

3. हवाई जहाज से केवल ब्राह्मण ही सफर करेंगे। क्षत्रिय रेलगाड़ी से सफर करेंगे। वैश्य बस से सफर करेंगे। शूद्र साइकिल या तांगे से सफर करेंगे। ब्राह्मण की यात्रा का सारा खर्चा वैश्य समाज को उठाना पड़ेगा।

(8) सूचना का अधिकार

मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग केवल ब्राह्मण ही कर सकेंगे। बाकी अन्य वर्ण के लोग केवल टेलीविजन ही देख सकेंगे।

(9) संपत्ति का अधिकार

1. ब्राह्मण जहां चाहे रह सकता है। अगर उसको किसी का भी घर पसंद आता है तो वह वहां पर बिना कोई किराया दिये, जब तक चाहे तब तक रह सकता है। इस दौरान ब्राह्मण के खाने-पीने की व्यवस्था मकान मालिक को ही करनी पड़ेगी।

2. अगर ब्राह्मण को कोई घर बहुत पसंद आ जाता है और वह उसको प्राप्त करने इच्छा करता है तो मकान मालिक को वह घर ब्राह्मण को दान करना पड़ेगा।

3. अगर ब्राह्मण को किसी की कार या कोई और वस्तु पसंद आती है तो मालिक को वह कार या वस्तु ब्राह्मण को दान करनी पड़ेगी।

(10) सरकारी सेवाओं का प्रावधान

1. ब्राह्मण को हर सरकारी विभाग में प्रमुख बनाया जाएगा जैसे जिले का डीएम या एसपी, किसी प्राइवेट संस्थान का मैनेजिंग डायरेक्टर, किसी स्कूल का प्रधानाध्यापक, किसी सेना का कमांडर आदि।

2. क्षत्रियों की भर्ती सेना में निचले पदों पर की जाएगी जिससे कि वे सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा कर सकें और अपनी जान की बाजी लगा सकें।

3. वैश्य समाज सारी दुकानें चलाएगा चाहे वो सब्जीकी रेड़ी हो, पंक्चर की दुकान या कोई बड़ी दुकान।

4. शूद्र लोग मजदूर और किसानों का काम करेंगे और देश को स्वच्छ बनाए रखने में जी जान लगा देंगे। उनका काम केवल सेवा करना और गंदगी की सफाई करना रहेगा।

(इस तरह से और बहुत सारे विषयों पर चर्चा इस कथित संविधान में की गई हैं जिन्हें यहां नही उठाया गया है। उम्मीद है कि पाठक स्वयं इसके लिये प्रयास करेंगे)

आय बढ़ाने के लिये किसान बड़े स्तर पर करें मशरूम की खेती:राज्यपाल

शिमला/शैल। हिमाचल के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि मशरूम की खेती को व्यापक स्तर पर अपनाकर प्रदेश के किसान अपनी आय में आशातीत बढ़ौतरी कर सकते हैं। राज्यपाल सोलन के चम्बाघाट स्थित खुम्ब अनुसंधान निदेशालय में खुम्ब उत्पादन एवं अनुसंधान के विषय में वैज्ञानिकों से विचार-विमर्श करने के उपरान्त उन्हें सम्बोधित कर रहे थे।

राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में खुम्ब उत्पादन के लिए सर्वथा अनुकूल वातावरण उपलब्ध है और प्रदेश के किसानों को बड़े स्तर पर खुम्ब उत्पादन अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्रफल में छोटा राज्य होने के बावजूद भी देश में खुम्ब उत्पादन में हिमाचल का पांचवा स्थान है, जो सराहनीय है। उन्होंने खुम्ब अनुसंधान निदेशालय के वैज्ञानिकों को निर्देश दिए कि खुम्ब की नवीन किस्मों एवं इनके उत्पादन के विषय में जानकारी किसानों तक पहुंचाएं, ताकि किसान इनसे लाभान्वित हो सकें।

बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि वर्ष 2022 तक देश तथा प्रदेश में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए वैज्ञानिकों को किसानों के खेत तक नवीन अनुसंधान तथा तकनीक की जानकारी पंहुचाना आवश्यक है। इस दिशा में खुम्ब जैसे कम लागत में अधिक लाभ देने वाले कृषि उत्पाद एवं प्राकृतिक खेती विशेष रूप से सहायक सिद्ध हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि खुम्ब को औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है और किसानों को मशरूम की औषधीय किस्मों के उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

राज्यपाल ने इस अवसर पर सोलन जिला में प्राकृतिक खेती के विषय में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निदेशालय की विभिन्न प्रयोगशालाओं में व्यवहारिक जानकारी भी प्राप्त की।

उन्होंने निदेशालय प्रांगण में कैमिलिया का पौधा भी रोपा।

इस अवसर पर खुम्ब अनुसंधान निदेशालय के निदेशक डॉ. वी.पी. शर्मा ने राज्यपाल को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से खुम्ब उत्पादन एवं निदेशालय की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

राज्यपाल ने उसके बाद सोलन के सुबाथु के समीप कटनी स्थित ध्यानयोग आश्रम का दौरा भी किया। उन्होंने आश्रम में औषधीय उत्पादों एवं ध्यान योग के विषय में जानकारी प्राप्त की तथा गौ सदन का निरीक्षण किया।

आश्रम के संस्थापक ब्रह्ममूर्ति योगतीर्थ जी ने उनका स्वागत किया तथा आश्रम की गतिविधियों की जानकारी प्रदान की।

इस अवसर पर उपायुक्त सोलन के.सी. चमन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. शिव कुमार शर्मा, खुम्ब अनुसंधान निदेशालय के वैज्ञानिक एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय बजट को बताया ऐतिहासिक

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने केंद्रीय बजट 2020-21 को आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और सामाजिक समरसता के तीन विचारों पर आधारित ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हुए इसकी सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस बजट से समाज के सभी वर्गों की आशाएं और आकाक्षाएं पूर्ण होंगी।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बजट में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए 16 व्यवहार्य प्रस्तावों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की 90 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और कृषि उनका मुख्य व्यवसाय है, इसलिए यह 16 प्रस्ताव राज्य के किसानों की आर्थिकी को सशक्त बनाने में अहम् भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा, बल्कि इससे किसानों, बेरोजगार युवाओं और आम आदमी का आर्थिक विकास भी सुनिश्चित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट से समग्र विकास सुनिश्चित होगा, जिससे जन साधारण का विश्वास और भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि बजट में नई शिक्षा नीति से राष्ट्र को विश्व गुरू के रूप में अपनी पुरानी ख्याति को पुन: प्राप्त करने में मदद मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र के लिए बजट में 99,312 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि गरीब छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से डिग्री प्रदान करने के प्रस्ताव से समाज के वंचित वर्गों के छात्रों को बिना किसी बाधा के उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने राज्य स्तर पर बिना किसी विलंब के निवेश को आकर्षित करने के लिए 'इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस सेल' के गठन के प्रस्ताव की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे सरकार के राज्य में अधिक निवेश आकर्षित करने के प्रयासों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भावी उद्यमियों के साथ एक लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर पहले ही हस्ताक्षर किए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में 'भारतनेट कार्यक्रम' के लिए छह हजार करोड़ रुपए का आबंटन करने से राज्य सरकार को बहुत मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम के तहत इस वर्ष देश की लगभग एक लाख पंचायतों को भारतनेट कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा।

उन्होंने स्किल इंडिया के तहत तीन हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव की सराहना करते हुए कहा कि इससे युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह बजट 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' की अवधारणा से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि इस बजट में लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ करने और उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि पर्यटन के लिए 45 हजार करोड़ रुपये का बजट आबंटन करने से देश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने राज्य में अनछुए एवं कम विकसित स्थानों को मुख्य पर्यटन गंतव्य बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं आरंभ की हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे राज्य में पर्यटन क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के लिए 33 प्रतिशत बजट बढ़ाने के प्रस्ताव की सराहना करते हुए कहा कि इससे राज्य में विकास की गति और तेज होगी। उन्होंने व्यक्तिगत आयकर के सरलीकरण के प्रस्ताव की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत आयकर अब तक की सबसे कम दरों पर प्रस्तावित किया गया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि बजट प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत को एक मजबूत, जीवंत एवं गतिशील देश बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि बजट आम लोगों के लिए वास्तव में दिवाली की तरह है।

मंडी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि में विदेशी कलाकार भी दिखाएंगे जौहर

शिमला/शैल। मंडी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में इस बार देश-विदेश की कला-संस्कृति के विविध रंग देखने को मिलेंगे। 22 से 28 फरवरी तक होने वाले इस महोत्सव में 6 सांस्कृतिक संध्याएं होंगी, इनमें 3 संध्याएं खासतौर पर हिमाचली कलाकारों के नाम रहेंगी। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पंजाबी तड़का भी लगेगा। साथ ही कई विदेशी कलाकार व ग्रुप भी महोत्सव में अपना जौहर दिखाएंगे।

अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने यह जानकारी बुधवार को शिवरात्रि महोत्सव की सांस्कृतिक उपसमिति की बैठक के उपरांत दी। बैठक में उपसमिति के सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया।

अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि बैठक में शिवरात्रि महोत्सव की सांस्कृतिक संध्याओं को लेकर चर्चा की गई। यह तय हुआ कि महोत्सव में हिमाचली कलाकारों को पर्याप्त मौका दिया जाए।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर फैशन शो– उन्होंने कहा कि महोत्सव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर फैशन शो का आयोजन भी किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक विषयों पर आधारित लघु नाटिकाएं भी प्रस्तुत की जाएंगी। नृत्य, संगीत, कला संस्थानों के कलाकारों को भी मंच मुहैया करवाया जाएगा।

10 से 17 फरवरी तक मंडी में ऑडिशन– आशुतोष गर्ग ने कहा कि सांस्कृतिक संध्याओं में कलाकारों का चयन ऑडिशन के जरिए होगा। इसके लिए 10 से 17 फरवरी तक मंडी में ऑडिशन लिए जाएंगे। इनमें जज के तौर पर गीत-संगीत व कला संस्कृति की प्रतिष्ठित विभूतियों को रखा जाएगा। पिछले साल हुए ऑडिशन में मंडी व अन्य जिलों की ऑडिशन में पहले तीन-तीन स्थानों पर रहे कलाकरों को इस बार ऑडिशन से छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त नामी कलाकारों के अलावा बड़े स्तर की प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों व पुरस्कार विजेताओं को भी ऑडिशन से छूट दी जाएगी।

यहां करें आवेदन– सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कलाकार अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय मंडी में आवेदन कर सकते हैं। उनके ईमेल पते adcmandi@gmail.com पर भी आवेदन भेजे जा सकते हैं।

बैठक में सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों ने सांस्कृतिक संध्याओं को और आकर्षक बनाने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए।

बैठक में आईएएस प्रोबेशन अजय कुमार यादव, सहायक आयुक्त संजय कुमार, जिला भाषा अधिकारी रेवती सैनी, गैर सरकारी सदस्य वरिष्ठ पत्रकार हंस राज सैनी, पार्षद पुष्प राज कात्यायन व बंसी लाल, पंकज शर्मा, हिमांशु शर्मा, मनीष कपूर, महेश सिंह सपहिया, कृष्णा ठाकुर, पाल वर्मा उपस्थित रहे।

प्रदेश में हिमकेयर योजना के अन्तर्गत जनवरी माह में 18,852 आवेदन पंजीकृत

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत न आने वाले परिवारों के लिए प्रदेश में हिमकेयर योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के लोगों को नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से दोबारा से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की गई है।

इस योजना के अंतर्गत जनवरी माह के दौरान 18,852 आवेदन पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें 15,442 नये आवेदन और 3410 आवेदनों का नवीनीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि जनवरी माह में बिलासपुर में 1265, चम्बा में 747, हमीरपुर में 1851, कांगड़ा में 5748, किन्नौर में 205, कुल्लू में 956, लाहौल एवं स्पीति में 14, मण्डी में 2377, शिमला में 1773, सिरमौर में 1520, सोलन में 1457 और ऊना में 939 आवेदन पंजीकृत किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को पंजीकृत अस्पतालों के माध्यम से 5 लाख रुपये तक के नि:शुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजना के तहत पंजीकृत परिवारों के सदस्यों का पंजीकृत सरकारी व निजी अस्पतालों में उपचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 2020 तक आवेदन पंजीकृत किए जाएंगे।

पेय पदार्थों के टेट्रा पैक प्लास्टिक स्ट्रा प्रयोग के लिए अस्थाई छूट

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि पेय पदार्थों के टेट्रा पैक के साथ एकीकृत प्लास्टिक स्ट्रा के प्रयोग के लिए छह माह तक अस्थाई रूप से छूट प्रदान की गई है। एक्शन एलांयस फॉर रिसाइकलिंग बिवरेज (एएआरसी) कार्टन ने हिमाचल प्रदेश सरकार से टेट्रा पैक के साथ एकीकृत प्लास्टिक स्ट्रा के प्रयोग पर छूट प्रदान करने के लिए आग्रह किया था। मैसर्ज टेट्रा पैक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, एक्शन एलांयस फॉर रिसाइकलिंग बिवरेज कार्टन को विस्तारक उत्पादक उत्तरदायित्व के तहत प्रस्तुत कार्य योजना का क्रियान्वयन करना होगा। इस छूट अवधि के दौरान उत्पादकों और निर्माताओं को प्लास्टिक स्ट्रा का बायो-डिग्रेडेबल विकल्प लाना होगा। इस संबंध में हाल ही में अधिसूचना जारी की गई है।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 20 सितम्बर, 2019 को जारी अधिसूचना के अन्य प्रावधानों के तहत प्लास्टिक कटलरी जैसे चम्मच, कटोरी, कांटे, चाकू इत्यादि के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

उन्होंने कहा कि यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू रहेगी।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक- जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार- ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

H. P. P.W.D. TENDER

Sealed item rate tenders on the form 6&8 are invited by the Executive Engineer Indora Division HPPWD., Indora on behalf of the Governor of HP for the following works from the approved and eligible contractors enlisted in HPPWD.

TENDER SCHEDULE:

1. Date and time of receipt of application for tender form: 03.03.2020. upto 2.00 PM
2. Date and time of issue of tender form: 04.03.2020upto 5.00 PM
3 Date and time of receipt of tenders: 05.03.2020upto 10.30AM
4 Date and time of opening of tenders: 05.03.2020 at 11.00 AM

The tenders form will be issued against cash payment (non refundable). The earnest money in the shape of NSC/FDR/Deposit at call of any of Post Office/Bank in H.P duly pledged in the name of the Executive Engineer Indora Division HPPWD Indora must accompany with each tender.

S.No. Name of Work	Estimated Cost (Rs.)	Earnest Money (Rs.)	Time limit	Cost of form	Eligible Class of Contractor
1. C/O Bhapoo to Indpur road Km.0/0 to 2/300 (SH:-Provding and laying interlocking block pavement in Km.0/160 to 0/255)	498361/-	10000/-	Two Month	350/-	Class D&C
2. C/O Bhapoo to Indpur road Km.0/0 to 2/300 (SH:-Provding and laying interlocking block pavement in Km.0/255 to 0/355)	287458/-	5800/-	Two Month	350/-	Class D&C
3. A/R & M/O Sardyal to Dadoli road Km.0/0 to 3/300 (SH:- C/O P.C.C. R/wall at RD.3/020)	430761/-	8700/-	Two Month	350/-	Class D&C
4. C/O boundary wall and Plaster in Shamshanghat Ward No.4 village Khanpur G.P. Ulehrian tehsil Indora. Depoist work.	147976/-	3000/-	Two Month	350/-	Class D&C
5. C/O Drain and path from main road to Baba kayalu in village jaint G.P. dini Tehsil indora distt. Kangra (HP). Depoist work.	95819/-	2000/-	Two Month	350/-	Class D&C
6. C/O Batroom/toilet for Public Utility near Shamshanghat Ward No.6 in village (SH:-Constriuction of bath/toilet) Depoist work.	103598/-	2100/-	Two Month	350/-	Class D&C
7. Comp.of Sarai and C/O of Ground tiles near baba Gopal Dass mandir in Ward No.5 GP Bhogrwan.	180499/-	3700/-	Two Month	350/-	Class D&C
8.C/O Waiting shed in shamshanghat in Ward No.1 G.P. Basantpur tehsil Indora (Deposit work)	489615/-	10000/-	Two Month	350/-	Class D&C

1. The contractors/firms should possess the following documents (Photocopy to be attached):
(i) The contractor/Firms should be enlisted with the HPPWD.
(ii) PAN (Permanent Account No.)
(iii) Registration under GST
(iv) Ambiguous/telegraphic/conditional tenders or tender by Fax/E-mail shall not be entertained / considered in any case.
(v) The Executive Engineer reserves the right to reject/cancel any or all the tenders without assigning any reason(s).
(vi) Paver and finisher shall be used at site.

Adv. No.4383/19-20 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

हिमाचली उत्पादों को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलायेगा सूरजकुंड मेला:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमन्त्री जय राम ठाकुर ने सूरजकुंड अन्तरराष्ट्रीय शिल्प मेला-2020 के उद्घाटन अवसर पर कहा कि विश्व के इस सबसे बड़े शिल्प मेले में हिमाचल को 'थीम राज्य' बनने का विशेष सम्मान प्राप्त होने से प्रदेश की कला, संस्कृति एवं पर्यटन को व्यापक स्तर पर प्रदर्शित करने का

अवसर प्राप्त हुआ है। यह मेला हिमाचल के उत्पादों को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाने में भी सहायक सिद्ध होगा।

राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला-2020 का शुभारंभ किया, मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी कार्यक्रम में मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले के माध्यम से देश-विदेश के पर्यटकों को प्रदेश की संस्कृति में विविधता के बारे में जानकारी मिलेगी तथा शिल्पकारों, बुनकरों और कामगारों को सम्मान मिला है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में भाग लेने का उद्देश्य हिमाचल के हथकरघा, हस्तशिल्प, फल उत्पाद, चाय, शहद, धातु शिल्प तथा व्यंजन आदि को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान करना और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों तथा अन्य लोगों की सुविधा के लिए चंडीगढ़ से शिमला के लिए हेलीकाप्टर सेवा शुरू की गई है तथा उड़ान योजना के अंतर्गत यह सेवा चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से कुल्लू और शिमला से धर्मशाला के लिए चलाई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हैलीपैड निर्माण तथा मौजूदा तीनों हवाई अड्डों के विस्तार को प्राथमिकता दी है। जिला मंडी के नागचला में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए भारतीय विमानन प्राधिकरण के साथ 15 जनवरी, 2020 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार पर्यटन क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए पैराग्लाइडिंग के लिए जिला कांगड़ा के बीड़-बिलिंग में अधोसंरचना विकास पर जोर दिया गया है। इको-पर्यटन के लिए जिला मंडी का जंजैहली, स्कीइंग के लिए शिमला का चांशल और जल क्रीड़ा गतिविधियों के लिए पौंग, लारजी व तत्तापानी जलाशय का चयन किया गया है तथा इन क्षेत्रों में पर्यटन से संबन्धित अधोसंरचना के विकास के लिए धनराशि भी स्वीकृत की गई है।

उन्होंने कहा हिमाचल सरकार द्वारा ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने तथा स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए होम स्टे योजना तथा अनछुए क्षेत्रों के विकास व नए पर्यटन गंतव्य तैयार करने के लिए 'नई राहें, नई मंजिलें' योजना शुरू की गई है।

जय राम ठाकुर ने कहा हिमाचल प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्ज मीट का आयोजन किया गया, जिसमें सिर्फ पर्यटन क्षेत्र में ही 16 हजार करोड़ रूपये से अधिक निवेश के समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं।

इससे पहले, मुख्यमन्त्री ने राष्ट्रपति का प्रवेश द्वार धन्तेश्वरी पर स्वागत किया और उन्हें हिमाचल की समृद्ध संस्कृति से अवगत करवाया।

इस अवसर पर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री महेन्द्र सिंह ठाकुर, शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री विपिन सिंह परमार, वन परिवहन, युवा सेवाएं एवं खेल मन्त्री गोविन्द सिंह ठाकुर, मुख्यमन्त्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विनय सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. धीमान, निदेशक पर्यटन यूनुस तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

हिमाचल के राजस्व कर एकत्रीकरण में 17.2 प्रतिशत की वृद्धिः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि वैश्विक मंदी के बावजूद हिमाचल प्रदेश सरकार ने 31 जनवरी, 2020 तक राजस्व कर एकत्रीकरण में 17.2 प्रतिशत की वृद्धि हासिल करने में सफलता प्राप्त की, जो प्रदेश में आर्थिक विकास का सकारात्मक संकेत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के मुकाबले वर्ष 2019-20 में 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व एकत्रित किया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में राजस्व व कर एकत्रीकरण के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। राज्य सरकार प्रदेश में कर राजस्व एकत्रीकरण की लगातार समीक्षा कर रही है और इसकी गति को निर्बाध बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष के जीएसटी एकत्रीकरण के परिणाम सराहनीय रहे हैं तथा इसमें 50.76 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन, निर्माण और पन विद्युत परियोजनाओं में जीएसटी लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। इसके अलावा आबकारी, टोल तथा अन्य कॉन्ट्रेक्टरों से प्राप्त करों से राजस्व में वृद्धि करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

वित्त वर्ष के बचे लक्ष्यों को शीघ्र पूरा करें अधिकारी:वीरेन्द्र कंवर

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इस वित्त वर्ष में शेष बचे लक्ष्यों को शीघ्र पूर्ण करने तथा आगामी वित्त वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि मनरेगा तथा 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्थाई संपत्तियों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा अब तक बन चुकी परिसंपत्तियों को सूचीबद्ध करके संकलित किया जाए।

उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में एक लाख गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से उपर उठाने के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए एक निश्चित कार्य योजना पर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में अन्य विभागों को जोड़ा जाए। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री लोक भवन, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना, मिशन अंत्योदय, अर्बन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, 14वां वित्त आयोग, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सहित अन्य योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और नई ग्राम पंचायतों के विभाजन/पुनर्गठन की अद्यतन स्थिति के बारे में समीक्षा की गई।

इस बैठक में डॉ. आर.एन.बत्ता, सचिव गामीण विकास एंव पंचायती राज, ललित जैन, निदेशक एंव विशेष सचिव, ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज, ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त निदेशक संजीव सूद व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

ऑनलाईन उपलब्ध होगी विभिन्न परिवहन सेवाएं

शिमला/शैल। राज्य परिवहन विभाग ने आम लोगों को परिवहन संबंधी विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए वैब आधारित सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान से विभिन्न परिवहन सेवाओं के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। इस प्रकार उन्हें परिवहन विभाग के कार्यालयों में आने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से लोगों को घर-द्वार पर विभिन्न परिवहन सेवाओं का लाभ उठाने में सहायता मिलेगी। विभिन्न परिवहन सेवाओं के लिए राज्य सरकार ने लोकमित्र केन्द्रों/जन सेवा केन्द्रों को अधिकृत किया है, जिनके माध्यम से लोग विभिन्न सेवाओं के लिए आवश्यक शुल्क सहित ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि विभाग के सॉफ्टवेयर के माध्यम से जिन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकेगा, उनमें स्वामित्व के स्थानांतरण, पता बदलने, पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि, आरसी में परिवर्तन, वाहनों के रूपांतरण, पंजीकरण के नवीकरण, अनापत्ति प्रमाण-पत्र, स्वस्थता प्रमाण-पत्र, रोड टैक्स अदायगी, स्पेशल रोड टैक्स अदायगी, नए अथवा प्रतिलिपि अथवा नवीनीकरण अथवा विशेष परमिट, गृह राज्य अधिकार पत्र, गूड्स नेशनल परमिट, नए अथवा नवीनीकरण अथवा प्रतिलिपि व्यापार प्रमाण-पत्र, परमिट के प्रिंट, लर्नरज लाईसेंस, नए अथवा डुप्लिकेट ड्राईविंग लाईसेंस, ड्राईविंग लाईसेंस में नाम, पता अथवा अन्य इसी अतिरिक्त जानकारी में बदलाव, नए अथवा नवीनीकरण अथवा प्रतिलिपि कंडक्टर लाईसेंस आदि के लिए आवेदन शामिल है।

प्रवक्ता ने कहा कि लोकमित्र केंद्र इन सेवाओं के लिए ऑनलाईन आवेदन भरने पर सेवा शुल्क के रूप में 30 रुपये वसूल करेंगे, जबकि परमिट के लिए प्रति पृष्ठ 10 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

मुख्य अभियंता ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की समीक्षा की

शिमला/शैल। लोक निर्माण विभाग शिमला क्षेत्र के मुख्य अभियंता ललित भूषण ने शिमला, सोलन, रोहडू, नाहन और रामपुर के अधीक्षण अभियंताओं और कार्यकारी अभियंताओं के साथ शिमला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की।

ललित भूषण ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के लिए भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों के बारे में विस्तृत चर्चा की तथा अधीक्षण अभियंताओं और कार्यकारी अभियंताओं को इन सड़कों के निर्माण कार्यों को गति प्रदान करने को कहा, ताकि इन निर्माण कार्यों को निर्धारित समय में पूरा किया जा सके और लोगों को इनसे लाभ प्राप्त हो सके।

मुख्य अभियंता ने ऊपरी शिमला और राज्य के अन्य भागों में भारी बर्फबारी के कारण अवरूद्ध मार्गों को जल्द खोलने के अधिकारियों को निर्देश दिए, ताकि प्रदेश के लोगों को रोजमर्रा के कार्यों में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को मौके पर जाकर सड़कों के निरीक्षण करने को कहा, जिससे उन्हें न केवल वास्तविक कार्य की जानकारी प्राप्त होगी, बल्कि इससे सड़कों के निर्माण कार्य में भी तेजी लाने में सहायता मिलेगी।

'परीक्षा पर्व-2' पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सहयोग से हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिप्पा) में 'परीक्षा पर्व-2' पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय ओरियन्टेशन एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

हिमाचल प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वन्दना कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम का विषय विद्यार्थियों में परीक्षा से संबंधित दबाव को कम करना था। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा बच्चों से संबंधित विभिन्न विषयों पर नियमित तौर पर कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं ताकि लोगों को बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की विशेषज्ञ ज्योति चोथीवाला ने 'परीक्षा पर्व-विद्यार्थियों में दबाव प्रबन्धन की आवश्यकता तथा महत्व' पर जानकारी सांझा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आयोग पूरे देश में परीक्षा से संबंधित दबाव से निपटने के लिए विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों को जागरूक कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'परीक्षा पर चर्चा', 'मन की बात', 'परीक्षा पर्व' तथा उनकी पुस्तक 'एग्जाम वॉरियर' के माध्यम से विद्यार्थियों की परीक्षा संबंधी दबाव की समस्या को उचित रूप से संबोधित किया है।

इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) शिमला के मनोचिकित्सा विभाग के डॉ. दिनेश दत्त शर्मा ने दबाव के मानसिक प्रभावों तथा इसके ईलाज से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी तथा उपस्थित लोगों के प्रश्नों के जबाव दिए। उन्होंने कहा कि दबाव हर आयु के व्यक्ति पर होता है तथा इसके लक्षणों को शीघ्र पहचान कर ईलाज करवाना बेहद आवश्यक है।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के मनोविज्ञान विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अनिता शर्मा ने परीक्षा से संबंधित दबाव प्रबन्धन पर उपयोगी जानकारी सांझा की। उन्होंने इस अवसर पर विद्यार्थियों पर परीक्षा के दबाव तथा इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर एक प्रस्तुति दी। इससे पूर्व, हिमाचल प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वन्दना कुमारी ने इस अवसर पर विशेषज्ञों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया।

इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के स्थान पर होगा जल शक्ति विभाग

शिमला/शैल। दी बिजनेस ऑफ दी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश (एलोकेशन), रूल्ज, 1971 से संलग्न शडयूल की क्रम संख्या 18 में 'इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट' शब्द जहां-जहां आते हैं, वहां उनके स्थान पर 'जल शक्ति विभाग' रखा जाएगा।

इस संबंध में हाल ही में अधिसूचना जारी कर दी गई है। दी बिजनेस ऑफ दी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश (एलोकेशन) रूल्ज, 1971 का और संशोधन करने के लिए नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का संक्षिप्त नाम 'दी बिजनेस ऑफ दी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश (एलोकेशन) 159वां संशोधन नियम, 2020 है। ये नियम राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे, यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो, तुम कमजोर हो जाओगे, अगर खुद को ताकतवर सोचते हो, तुम ताकतवर हो जाओगे .....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

जब प्रधानमंत्री ही आक्रामक होने को कहे तो...

नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ उभरा नागरिक विरोध जामिया और शाहीन बाग में गोली चलने के बाद भी जारी है। इन दोनों जगह गोली चलाने वाले युवा स्कूल और कॉलिज जाने वाले छात्र हैं। जिन्होने शायद इस संशोधन को पढ़ भी नही रखा होगा समझ आना तो और भी दूर की बात होगी। इस संशोधन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में सौ से अधिक याचिकायें दायर हैं। केन्द्र सरकार ने इन पर जवाब दायर करने के लिये एक माह का समय मांगा है। सर्वोच्च न्यायालय में आयी याचिकाओं में इसके हर पक्ष पर सवाल उठाये गये है। एनआरसी, एनपीआर और सीएए में क्या संबंध है इस पर सवाल है। इस पर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री और अन्य मन्त्रियों एवम् नेताओं के संसद के भीतर दिये गये ब्यानों को भी अदालत के संज्ञान में लाया गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस संशोधन पर उठे हर सवाल और हर शंका के समाधान का सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा और कोई मंच नही हो सकता। लेकिन इस मंच से कोई जवाब आने से पहले ही इसका विरोध कर रहे लोगों को गद्दार कहना, उन्हे टुकड़े-टुकड़े गैंग का समर्थक बताना किसी भी अर्थ में जायज नही ठहराया जा सकता है।

शाहीन बाग में विरोध पर बैठे लोगों की मांग है कि सरकार उनकी बात सुने। कानून मन्त्री रवि शंकर प्रसाद ने जब यह ब्यान दिया कि सरकार इन लोगों से बात करने के लिये तैयार है लेकिन फिर उसी दिन प्रधानमन्त्री का ब्यान आ जाता है कि भाजपा को इस पर आक्रमकता से अपनी बात रखनी होगी। प्रधानमन्त्री का यह ब्यान भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक निर्देश है। प्रधानमन्त्री और गृहमन्त्री ने जब विरोधियों पर आरोप लगाया कि यह लोग टुकड़े- टुकड़े गैंग का समर्थन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इससे बड़ा कोई आरोप नही हो सकता। ऐसे लोग सही में राष्ट्रद्रोही कहे जा सकते हैं। जब देश का प्रधानमन्त्री और गृहमन्त्री इतना बड़ा आरोप लगाये तो स्वभाविक है कि यह आरोप तथ्यों पर आधारित होगा। क्योंकि तब किसी के खिलाफ इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वह देशे के टुकड़े-टुकड़े करने की बात कर रहा है तो तय है कि यहां तक पहुंचने से पहले देश की गुप्तचर ऐजैन्सीयों ने इस संद्धर्भ में सारे प्रमाण जुटा लिये होंगे। इसके लिये मानदण्ड तय कर लिये गये होंगे कि किस आधार पर किसी का ऐसा वर्गीकरण किया जायेगा। प्रधानमन्त्री और गृहमन्त्री के इन आरोप पर जब गृह मन्त्रालय से आरटीआई के माध्यम से यह सूचना मांगी गयी कि टुकड़े-टुकड़े गैंग को लेकर सरकार के पास क्या जानकारी है। क्या इसके लिये कोई मानदण्ड बनाये गये हैं। क्या इसकी कोई सूची उपलब्ध है। इस तरह की सारी जानकारियां एक अंग्रेजी दैनिक एक्सप्रैस के पत्रकार ने मांगी थी। लेकिन गृह मंत्रालय ने इस टुकड़े-टुकड़े गैंग को लेकर पूरी अनभिज्ञता जाहिर की। उसके गृह मन्त्रालय के पास कोई जानकारी ही नही है। अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर यह खबर छापी है। जिस पर किसी का कोई खण्डन नही आया है। इस तरह आरटीआई के जवाब से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस तरह का संबोधन/आरोप बिना किसी प्रमाण के ही लगा दिया गया। आज हर छोटा-बड़ा नेता इस आरोप को हवा दे रहा है।

दिल्ली चुनावों के प्रचार में जब अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के ब्यानों का कड़ा संज्ञान लेते हुय चुनाव आयोग ने उन पर प्रतिबन्ध लगाया तो भाजपा ने इस प्रतिबन्ध का विरोध करते हुए चुनाव आयोग में इस पर आपति दर्ज करवाई। यह आपति दर्ज करवाने का अर्थ है कि भाजपा प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर के ब्यानों का समर्थन करती है। आज जब प्रधानमन्त्री ने पार्टी को निर्देश दिया है कि वह आक्रामक होकर इस संशोधन पर अपना पक्ष रखें तो स्वभाविक है कि अनुराग और प्रवेश वर्मा की तर्ज के कई और ऐसे ही ब्यान देखने को मिलेंगे। जिस तरह से जामिया और शाहीन बाग में दो छात्रों ने गोली चलायी है ऐसे ही कई और छात्र देश के अन्य भागों में भी देखने को मिल जायें तो क्या उससे कोई हैरानी होगी क्योंकि इस मुद्दे पर तर्क तो सर्वोच्च न्यायालय में ही सामने आयेगा जहां सरकार और याचिकाकर्ता खुलकर अपना-अपना पक्ष रखेंगे। अभी इस संशोधन पर उभरा विरोध थमा नही है और इसी बीच शाहीन बाग में संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा तैयार किये गये नये भारतीय संविधान को लेकर भी चर्चा उठ गयी है। यह आरोप लगाया गया है कि यह नया संविधान हिन्दु धर्म पर आधारित है। इसके मुताबिक भारत को एक हिन्दु राष्ट्र घोषित कर दिया जायेगा। इस कथित संविधान का संक्षिप्त प्रारूप सोशल मीडिया के मंच पर आ चुका है। लेकिन इस कथित संविधान को लेकर सरकार और संघ की ओर से कोई स्पष्टीकरण/खण्डन जारी नही किया गया है। यह संविधान पूरी तरह मनुस्मृति पर आधारित है। आज पूरे देश में ही नही बल्कि यूरोपीय यूनियन के मंच तक नागरकिता संशोधन अधिनियम चर्चा और विवाद का विषय बन चुका है। ऐसे में इसी समय इस सविंधान की चर्चा उठना और बड़े गंभीर संकेत और संदेश देता है जिस पर समय रहते कदम उठाने की आवश्यकता है।

राज्य में पर्यावरणीय स्थिरता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

हिमाचल प्रदेश सरकार लोक कल्याण के लिए पर्यावरणीय विरासत और प्राकृतिक संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य में जलवायु परिवर्तन नीति लागू की गई है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न स्तरों पर कई कदम उठाए जा रहे हैं। प्राथमिकताओं के आधार पर पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, पर्यावरण भवन शिमला की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। यह संयंत्र प्रति दिन 35 केवी ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे प्रति वर्ष लगभग 4 लाख रूपए की बचत हो रही है।

उद्योगों में प्रदूषण के उत्सर्जन को कम करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण और हरित प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य में पहली बार सक्रिय परियोजनाओं और औद्योगिक इकाइयों के पर्यावरण ऑडिट की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह आर्डर एक वर्ष में दो बार किया जाएगा। पर्यावरण ऑडिट से प्राप्त जानकारी और इसकी सिफारिशों के आधार पर, उद्योगों को पर्यावरण अनुकूल बनाने की रणनीति तैयार की जाएगी। इस वर्ष, राज्य में दस पर्यावरण संवेदनशील दवा उद्योगों, पेपर मिलों और सीमेंट संयंत्रों का पर्यावरण ऑडिट शुरू किया गया है।

सरकार ने जीवअनाशित कचरे के जोखिम को कम करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाकर जन-भागीदारी सुनिश्चित की है। 'पॉलिथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ' सरकार का जन-भागीदारी अभियान है। इस अभियान के दौरान एकत्र किए गए प्लास्टिक कचरे का उपयोग सड़कों को पक्का करने के लिए, सीमेंट संयंत्रों के लिए ईंधन के रूप में और कचरा उत्पन्न ईंधन बनाने के लिए किया जाता है। इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया है जिसमें प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके शिमला में तारादेवी के नजदीक सात किलोमीटर सड़क को पक्का किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकायों द्वारा एकत्र किया गया प्लास्टिक और अन्य कचरा, जिसे सड़क को पक्का करने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसको सीमेंट संयंत्रों को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए दिया जाता है।

राज्य को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले गैर-पुन: चक्रित प्लास्टिक को पंजीकृत कूड़ा बीनने वालों और स्थानीय परिवारों से 75 रूपए प्रति किलोग्राम की दर खरीदा जा रहा है। अब तक इस योजना के तहत 1055 किलोग्राम प्लास्टिक एकत्र किया गया है, जिससे कुड़ा बीनने वालों की आर्थिकी में भी सुधार हो रहा है।

प्रदेश सरकार के राज्य में थर्मोकोल से बने कप तथा प्लेट के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है जिससे पेड़ों की पारंपरिक पत्तियों से बने पारंपरिक पत्तल और डोने के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को पत्तल बनाने की 100 मशीनें प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 70 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।

सरकार द्वारा शिमला और मंडी के प्रमुख पर्यटन स्थलों को ध्वनि प्रदूषण रहित बनाने और पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए 'हॉर्न नॉट ओके' अभियान शुरू किया गया है। राज्य में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने के लिए 'शोर नहीं' मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई है।

प्रदेश में इको विलेज योजना के तहत 10 गाँवों का चयन किया गया है, जिन्हें इको विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इस योजना के तहत इन गाँवों के विकास के लिए अगले पाँच वर्षों में 50 लाख रुपये प्रति गाँव स्वीकृत किए गए हैं।

युवा, और विशेष रूप से छात्र, राष्ट्र निमार्ण या सामाजिक परिवर्तन की किसी भी गतिविधि के सबसे महत्वपूर्ण भागीदार हैं। सरकार पर्यावरण संरक्षण के बारे में छात्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस उद्देश्य के लिए, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस और पृथ्वी दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

राज्य सरकार ने लोगों को प्रेरणा स्वरूप, 'हिमाचल प्रदेश पर्यारवण उत्कृष्टता पुरूस्कार' आरम्भ किया है, जिसे पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए गए प्रगतिशील कार्यों को मान्यता के रूप में दिया जाता है।

राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से होने वाले गंभीर प्रभावों को कम करने को विशेष महत्व दिया है। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित ग्रामीण लोगों को आजीविका और स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री हरित तकनीक हस्तांतरण योजना' शुरू की गई है। इसके तहत सरकार द्वारा किसान उत्पादन संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और युवा उद्यमियों को हरित तकनीक हस्तांतरित करके हरित उद्योग स्थापित करने के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख रूपए का अनुदान प्रदान करेगी। इसके लिए 50 लाख रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए विभिन्न कदम, स्वस्थ समाज के निर्माण और हमारे ग्रह को सुरक्षित रखने में सहायक सिद्ध होगा।

कृषि, सिंचाई एवं ग्रामीण विकास के लिये 16 सूत्रीय कार्यक्रम को 2.83 लाख करोड़ आवंटित

केन्द्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2020 – 21 का केन्द्रीय बजट पेश किया। 21वीं सदी के तीसरे दशक के इस बजट में वित्त मंत्री ने दीर्घकालिक प्रभाव वाले कई सुधारों की घोषणा की, जिनका उद्देश्य लघु अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि के उपायों के जरिये भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊर्जावान बनाना हैं।

बजट के तीन प्रमुख घटक –

महत्वाकांक्षी भारत – भारत जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की पहुंच और रोजगार के बेहतर अवसर हो, ताकि उनके जीवन का स्तर अच्छा हो सके।

सभी के लिए आर्थिक विकास – 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास'।

जिम्मेदार समाज – मानवीय और सहृदय, अन्त्योदय, आस्था का आधार।

तीन बड़े विषयों को एक साथ लाया जाना भ्रष्टाचार मुक्त, नीति निर्देशित और सक्षम शासन।

साफ – सुथरा और मजबूत वित्तीय क्षेत्र।

केन्द्रीय बजट में जीवन सुगमता को तीन प्रमुख विषयों के रूप में रेखांकित किया गया है।

कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास

आरोग्य, जल और स्वच्छता

शिक्षा और कौशल

कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए 16 सूत्रीय कार्य योजना

निम्नलिखित 16 सूत्रीय कार्य योजना के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये का आबंटन

कृषि, सिंचाई और संबंधित गतिविधियों के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपये।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये।

कृषि ऋण: 2020 – 21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य तय।

पीएम – किसान लाभार्थियों को केसीसी योजना के तहत लाने का प्रस्ताव। नाबार्ड की पुनर्वित्त योजना को और विस्तार देना।

जल संकट से जूझ रहे 100 जिलों के लिए वृहद उपायों का प्रस्तावों

नीली अर्थव्यवस्था: 2024 – 25 तक मत्स्य निर्यात को एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाना।

2022 – 23 तक देश में 200 लाख टन मत्स्य उत्पाद का लक्ष्य।

3,477 मित्रों और 500 मत्स्य पालन कृषक संगठनों द्वारा युवाओं को मत्स्य पालन क्षेत्र से जोड़ना।

शैवालों और समुद्री खरपतवारों की खेती तथा केज कल्चर को प्रोत्साहित करना।

समुद्री मत्स्य संसाधनों के विकास प्रबंधन और संरक्षण के लिए फेमवर्क तैयार करना।

किसान रेल – सार्वजनिक और निजी भागीदारी के माध्यम से भारतीय रेल द्वारा किसान रेल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव

दूध, मांस और मछली आदि जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के लिए बाधा रहित राष्ट्रीय प्रशीतन आपूर्ति श्रृंखला बनाने का प्रस्ताव।

एक्सप्रेस और मालगाडियों में प्रशीतन डिब्बे लगाने का प्रस्ताव।

नागरिक उड्यन मंत्रालय द्वारा कृषि उड़ान योजना की शुरूआत करना।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हवाई मार्गो पर इस सेवा का संचालन।

पूर्वोत्तर ओर जनजातीय क्षेत्रों के जिलों को कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलना।

बागवानी क्षेत्र में विपणन और निर्यात को बेहतर बनाने के लिए 'एक उत्पाद, एक जिला' की नीति

सभी तरह के पारम्परिक जैविक और नवोन्मेषी उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल।

जैविक, प्राकृतिक और एकीकृत खेती को बढ़ावा।

जैविक खेती पोर्टल – जैविक उत्पादों के ऑनलाइन राष्ट्रीय बाजार को मजबूत बनाना।

जीरो बजट प्राकृतिक खेती – (जैसा कि जुलाई 2019 के बजट में दर्शाया गया) को शामिल करना।

सिंचाई के लिए वर्षा, जल आधारित क्षेत्रों में एकीकृत खेती प्रणाली का विस्तार।

गैर फसल मौसम में बहुस्तरीय फसल, मधुमक्खी पालन, सौर – पंपों तथा सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना।

पीएम – कुसुम का विस्तार योजना के तहत 20 लाख किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगाने में मदद।

अतिरिक्त 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े पंप सैटों को सौर ऊर्जा चलित बनाने में मदद करना।

किसानों को अपनी प्रति या खाली जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में मदद की योजना।

ग्राम भंडारण योजना

किसानों के लिए स्व – सहायता समूहों द्वारा संचालित भंडारण व्यवस्था, ताकि उत्पादों पर लॉजिस्टिक लागत कम हो सके।

महिलाओं के स्व – सहायता समूहों को फिर से धन्य लक्ष्मी का स्थान पाने में मदद।

नाबार्ड द्वारा कृषि भंडारो, कोल्ड स्टोरों तथा प्रशीतन वैन सुविधाओं का नक्शा बनाना और उनका जीओ टैगिंग करना

वेयर हाऊस विकास एवं नियामक प्राधिकरण द्वारा भंडार गृहों की स्थापना के लिए नियम।

खंडों और तालुक स्तर पर सक्षम भंडार गृह बनाने के लिए पूंजी की कमी की भरपाई करना।

भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम भी अपनी जमीन पर ऐसे भंडार गृह बनाएंगे।

नेगोशिएबल वेयरहाऊसिंग रिसीट पर किया जाने वाला वित्त पोषण ई – नाम के साथ एकीकृत किया जाएगा।

केन्द्र सरकार द्वारा जारी म डल कानूनों पर अमल करने वाली राज्य सरकारों को प्रोत्साहन दिए जाएंगे।

पशुधन: दूध प्रसंस्करण क्षमता को वर्ष 2025 तक 53.5 मिलियन एमटी से दोगुना कर 108 मिलियन एमटी के स्तर पर पहुंचाया जाएगा।

कृत्रिम गर्भाधान की कवरेज को मौजूदा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया जाएगा।

चारागाह को विकसित करने के लिए मनेरगा का संयोजन किया जाएगा।

मवेशियों के खुर एवं मुंह में होने वाली बीमारी (एफएमडी) तथा ब्रूसेलोसिस और भेड़ व बकरियों में पेस्टे डेस पेटिस रुमिनेंट (पीपीआर) को वर्ष 2025 तक समाप्त किया जाएगा।

दीनदयाल अंत्योदय योजना – गरीबी उन्मूलन के लिए 58 लाख एसएचजी के साथ 0.5 करोड़ परिवारों को जोड़ा गया।

वेलनेस, जल एवं स्वच्छता – समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपये का आवंटन।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम जय) के लिए 6400 करोड़ रुपये (69,000 करोड़ रुपये में से) का आवंटन

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम जय) के अंतर्गत 20,000 से भी अधिक अस्पतालों को पैनल में पहले ही शामिल किया जा चुका है।

पीपीपी व्यवस्था के तहत अस्पतालों के निर्माण के लिए कम पड़ रही राशि के इंतजाम (वायबिलिटी गैप फंडिंग या वीजीएफ) वाली विंडो अथवा प्रकोष्ठ बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

उन आकांक्षी जिलों को पहले चरण में कवर किया जाएगा, जहां आयुष्मान से जुड़े पैनल में कोई भी अस्पताल नहीं है।

मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करने वाली उपयुक्त निवारणकारी व्यवस्था के जरिए बीमारियों को लक्षित किया जाएगा।

जन औषधि केन्द्र योजना के तहत वर्ष 2024 तक सभी जिलों में 2000 दवाओं और 300 शल्य चिकित्सा की पेशकश की जाएगी।

'टीबी हारेगा देश जीतेगा' अभियान शुरू किया गया। वर्ष 2025 तक तपेदिक को समाप्त करने की प्रतिबद्धता।

जल जीवन मिशन के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपये मंजूर: वित्त वर्ष 2020 – 21 के लिए 11,500 करोड़ रुपये

स्थानीय जल स्रोतों की संख्या बढ़ाना, मौजूदा जल स्रोतों का पुनर्भरण और जल संचय तथा खारेपन को दूर करने को प्रोत्साहन देना।

10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों को चालू वित्त वर्ष के दौरान ही इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

वर्ष 2020 – 21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपये का आवंटन।

ओडीएफ से जुड़ी प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए 'ओडीएफ – प्लस' के लिए प्रतिबद्धता।

द्रव एवं धूसर जल के प्रबंधन पर विशेष बल

ठोस अपशिष्ट के संग्रह, स्रोत पर ही अपशिष्ट को अलग – अलग करना एवं प्रोसेसिंग पर भी फोकस

शिक्षा एवं कौशल – वित्त वर्ष 2020 – 21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये का आवंटन।

नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द ही की जाएगी।

पुलिस संबंधी विज्ञान, फॉरेंसिक विज्ञान, साइबर – फॉरेंसिक, इत्यादि के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है।

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फेमवर्क के अंतर्गत आने वाले शीर्ष 100 संस्थानों द्वारा डिग्री स्तर का पूर्णकालिक ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नये इंजीनियरों को एक वर्ष तक की इंटर्नशिप दी जाएगी।

बजट में पीपीपी व्यवस्था के तहत एक मेडिकल कॉलेज को एक मौजूदा जिला अस्पताल से संबद्ध करने का प्रस्ताव किया गया है।

स्वास्थ्य और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा विशेष ब्रिज कोष तैयार किए जाएंगे।

शिक्षकों, नर्सों, पैरा – मेडिकल स्टाफ और देखभाल करने वालों के लिए विदेशी मांग को पूरा किया जाएगा।

कार्यबल और नियोक्ताओं के मानकों के कौशल संयोजन में समतुल्यता लाई जाएगी।

150 उच्च शिक्षण संस्थान मार्च 2021 तक अप्रेंटिसशिप युक्त डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू कर देंगे।

शिक्षा क्षेत्र के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधारी एवं एफडीआई को सुनिश्चित किया जाएगा।

'भारत में अध्ययन' कार्यक्रम के तहत इंड – सैट को एशियाई एवं अफ्रीकी देशों में शुरू करने का प्रस्ताव है।

आर्थिक विकास – उद्योग, वाणिज्य एवं निवेश

उद्योग और वाणिज्य के विकास एवं संवर्धन हेतु वर्ष 2020 – 21 के लिए 27,300 करोड़ रुपये आवंटित।

निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव है।

समग्र रूप से सुविधा एवं सहयोग प्रदान करने – एक पोर्टल के जरिए काम करना

पांच नवीन 'स्मार्ट सिटी' को विकसित करने का प्रस्ताव है।

मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सेमी – कंडक्टर पैकेजिंग के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन शुरू किया जाएगा – वर्ष 2020 – 21 से लेकर वर्ष 2023 – 24 तक की चार वर्षीय कार्यान्वयन अवधि के साथ

1480 करोड़ रुपये का अनुमानित परिव्यय

भारत को तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाया जाएगा।

ज्यादा निर्यात ऋणों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए नई योजना 'निर्विक' शुरू की जाएगी जिसमें: – ज्यादा बीमा कवरेज छोटे निर्यातकों के लिए प्रीमियम में कमी दावों के निपटान के लिए सरल प्रक्रिया।

गवर्नमेंट ई – मार्केटप्लेस (जेम) के कारोबार को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंचाने का प्रस्ताव किया गया है।

'निर्यात उत्पादों पर शुल्कों एवं करों में संशोधन के लिए योजना' शुरू की जाएगी। केन्द्र, राज्य और स्थानीय स्तरों पर लगाए जाने वाले करों का रिफंड निर्यातकों को डिजिटल रूप में दिया जाएगा, जिन पर छूट नहीं है या जिन्हें रिफंड नहीं दिया जाता है।

प्रधानमंत्री के जीरो डिफेक्ट – जीरो इफेक्ट विनिर्माण विजन के अनुरूप सभी मंत्रालय गुणवत्ता मानक जारी करेंगे।

अवसंरचना

अगले 5 वर्षों के दौरान अवसंरचना पर 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइप लाइन

31 दिसंबर, 2019 को 103 लाख करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाएं लांच की गई।

विकास के चरण और आकार के आधार पर 6500 से अधिक परियोजनाओं का वर्गीकरण किया जाएगा।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को जल्द ही जारी किया जाएगा:

केन्द्र सरकार राज्य सरकारों और प्रमुख नियामकों की भूमिकाओं को सुस्पष्ट किया जाएगा।

एकल खिड़की की लॉजिस्टिक बाजार की स्थापना की जाएगी।

रोजगार सृजन, कौशल और एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

भारतीय कौशल विकास एजेंसी अवसंरचना – विशेष, कौशल, विकास अवसरों पर विशेष ध्यान देगा।

अवसंरचना परियोजनाओं के लिए परियोजना तैयारी सुविधा का प्रस्ताव।

युवा इंजीनियरों, प्रबंध स्नातकों तथा विश्वविद्यालयों के अर्थशास्त्रियों को सक्रिय रूप से जोड़ा जाएगा।

सरकार की अवसंरचना एजेंसियां स्टार्ट – अप्स में युवा शक्ति को भागीदार बनाएंगी।

2020 – 21 में परिवहन अवसंरचना के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव।

राजमार्ग:

राजमार्गो के तेजी से विकास पर ध्यान दिया जाएगा, इसमें शामिल हैं

पहुंच नियंत्रण राजमार्ग – 2500 किलोमीटर

आर्थिक गलियारा – 9000 किलोमीटर

तटीय और भूमि पत्तन सड़के – 2000 किलोमीटर

रणनीतिक राजमार्ग – 2000 किलोमीटर

दिल्ली – मुंबई एक्सप्रेस – वे और दो अन्य पैकेज 2023 तक पूरे हो जाऐंगे।

चेन्नई – बेंगलुरु एक्सप्रेस – वे की शुरूआत होगी।

6000 किलोमीटर से अधिक की लम्बाई वाले 12 राजमार्ग समूहों के मुद्रीकरण का प्रस्ताव।

भारतीय रेल:

पांच उपाए:

रेल पटरियां के किनारे सौर ऊर्जा की उच्च क्षमता स्थापित की जाएगी।

4 स्टेशनों की पुनर्विकास परियोजनाएं और पीपीपी के माध्यम से 150 यात्री ट्रेनों का संचालन।

आईकॉनिक पर्यटन गंतव्य को जोड़ने के लिए तेजस जैसी ट्रेने।

मुम्बई और अहमदाबाद के बीच हाईस्पीड ट्रेन पर सक्रियता से काम।

148 किलोमीटर लम्बी बेंगलुरु उप – नगरीय परिवहन परियोजना के लिए 18,600 करोड़ रुपये, मेट्रो प्रारूप के अनुसार किराया तय किया जाएगा। केन्द्र सरकार 20 प्रतिशत का लागत वहन करेगी और परियोजना लागत का 60 प्रतिशत बाहरी सहायता से उपलब्ध कराने की सुविधा देगी।

भारतीय रेल की उपलब्धियां:

550 स्टेशनों पर वाई – फाई सुविधा।

कोई मानवरहित क्रॅसिंग नहीं।

27000 किलोमीटर की रेल लाईन का विद्युतीकरण।

पत्तन और जलमार्ग:

कम से कम एक बड़े पत्तन का निगमीकरण और स्टॉक एक्सेंज में इसे सूचीबद्ध करने पर विचार किया जाएगा।

अधिक कार्यदक्ष पत्तनों के लिए वैश्विक मानदंडों के अनुरूप सरकार की नीतिगत रूपरेखा।

प्रधानमंत्री के अर्थ गंगा संकल्पना के अनुरूप नदी के तटों पर आर्थिक गतिविधियों को तेज किया जाएगा।

हवाई अड्डा:

उड़ान योजना के तहत 100 और हवाई अड्डों को 2024 तक पुनर्विकसित किया जाएगा।

इसी अवधि के दौरान हवाई जहाजों की संख्या वर्तमान के 600 से 1200 हो जाने की उम्मीद।

विद्युत:

स्मार्ट मीटर को बढ़ावा।

बिजली वितरण कम्पनियों में सुधार के लिए विभिन्न उपाय।

ऊर्जा:

2020 – 21 में ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 22000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय गैस – ग्रिड को वर्तमान के 16200 किलोमीटर से 27000 किलोमीटर के विस्तार का प्रस्ताव।

पारदर्शी मूल्य और लेनदेन में आसानी की सुविधा के लिए और सुधार।

नई अर्थव्यवस्था:

नई तकनीकों का लाभ लेना:

निजी क्षेत्र के द्वारा पूरे देश में डाटा सेंटर पार्क बनाने के लिए नीति जल्द ही लाई जाएगी।

भारतनेट के माध्यम से इस वर्ष 1 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर – टू – द – होम (एफटीटीएच) से जोड़ा जाएगा।

2020 – 21 में भारतनेट कार्यक्रम के लिए 6000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।

स्टार्ट – अप्स के लाभ के लिए प्रस्तावित उपाय:

आईपीआर के निर्बाध अनुप्रयोग और नियंत्रण की सुविधा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया जाएगा।

नए और उभरते क्षेत्रों समेत विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में ज्ञान अनुवाद क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे।

अवधारणा के साक्ष्य की डिजाइनिंग, इनके निर्माण और वैधीकरण के लिए और इन टेस्ट बेड्स को संपोषित करते हुए प्रौद्योगिकी कलस्टरों का स्तर आगे बढ़ाने के लिए छोटे पैमाने पर विनिर्माण कार्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

भारत के जेनेटिक लैंडस्केप की मैपिंग के लिए एक व्यापक डाटाबेस के सृजन के लिए दो नवीन राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा।

स्टार्टअप्स के पहले चरण के उद्भावन और विकास को बढ़ावा देने के लिए सीड फंड सहित प्रारम्भिक निधि पोषण प्रदान करने का भी प्रस्ताव है।

क्वांटम प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय अभियान के लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु 8,000 करोड़ रुपये के परिव्यय प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया।

जिम्मेदार समाज

ध्यान के केन्द्र हैं:

महिला और बाल, समाज कल्याण, संस्कृति और पर्यटन

वित्तीय वर्ष 2020 – 21 के लिए पोषण से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव दिया।

महिला विशेष कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया।

मातृत्व में प्रवेश करने वाली बालिका की आयु से जुड़े संपूर्ण मुद्दे को इस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में एक कार्यबल नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया, जो अपनी अनुशंसाएं 6 माह की समयावधि में देगा।

सीवर सिस्टमों अथवा सेप्टिक टैंकों की सफाई के कार्यो को मैनुअल तरीके से न करने को सुनिश्चित करने हेतु ऐसे कार्यो के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा की गई उपयुक्त प्रौद्योगिकियों की पहचान की व्यापक पैमाने पर स्वीकृति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण हेतु वर्ष 2020 – 21 के लिए 85,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया।

अनुसूचित जाति के आगामी विकास और कल्याण के लिए 53,700 करोड़ रुपये प्रदान किए गए।

वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए वर्ष 2020 – 21 हेतु 9,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।

संस्कृति और पर्यटन

पर्यटन संवर्द्धन के लिए वर्ष 2020 – 21 हेतु 2,500 करोड़ रुपये का आवंटन।

वर्ष 2020 – 21 के लिए संस्कृति मंत्रालय हेतु 3,150 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।

संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय धरोहर और संरक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया। इसे प्रारंभ में मानद विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त होगा।

स्थानिक संग्रहालय वाले प्रतिमान स्थलों के रूप में पांच पुरातत्व स्थलों का विकास किया जाएगा। राखीगढ़ी (हरियाणा), हस्तिनापुर (उत्तर प्रदेश), शिवसागर (असम), धौलाविरा (गुजरात), अदिचनल्लूर (तमिलनाडु)

प्रधानमंत्री द्वारा जनवरी 2020 में कोलकाता के भारतीय संग्रहालय के पुनरूद्धार की घोषणा की गई।

शेष पृष्ठ 6 पर.....

कृषि, सिंचाई एवं ग्रामीण विकास के लिये 16 सूत्रीय कार्यक्रम को 2.83 लाख करोड़ आवंटित

कोलकाता में ऐतिहासिक पुराने टक्साल भवन में मुद्रा-विषयक और व्यापार पर एक संग्रहालय भी स्थित होगा।
पूरे देश में चार और संग्रहालयों का नवीनीकरण और रीक्यूरेशन किया जाएगा।
झारखंड के रांची में एक जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के लिए सहयोग।
अहमदाबाद के निकट हड़प्पा युग के नौवहन स्थल-लोथल में पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा एक पोत संग्रहालय की स्थापना की जाएगी।
राज्य सरकारों के द्वारा कुछ चिन्हित स्थानों के लिए एक योजना तैयार किए जाने की उम्मीद है। 2021 के दौरान वित्तीय योजना तैयार की जाएगी, जिसके तहत 2020-21 में राज्यों को विशिष्ट अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन
वर्ष 2020-21 के लिए इस उद्देश्य हेतु 4,400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
अत्यधिक मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करने वाले विद्युत संयंत्रों के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप उन्हें चलाने और उनके लिए खाली भूमि का वैकल्पिक उपयोग करने का प्रावधान।
10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े नगरों में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के द्वारा बनाई जा रही योजनाओं को कार्यान्वित करते हुए प्रोत्साहन दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने दिल्ली सचिवालय के साथ आपदा उन्मोचन अवसंरचना सम्मिलन (सीडीआरआई) का शुभारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय सौर सहयोग के प्रारंभ के बाद यह दूसरी अंतर्राष्ट्रीय पहल है।
अभिशासन
निष्पक्ष, भ्रष्टाचार मुक्त, नीति संचालित, सही इरादे और सर्वाधिक महत्वपूर्ण निष्ठा में विश्वास।
कर शासन में निष्पक्षता और कुशलता लाने के लिए करदाता चार्टर का गठन किया जाएगा।
विधानों में कार्यों के लिए सिविल प्रकृति की आपराधिक जिम्मेदारी को ठीक करने के लिए कंपनी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
इस तरह के प्रावधानों वाले अन्य कानूनों की जांच के बाद उन्हें भी ठीक किया जाएगा।
सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अराजपत्रित पदों की भर्ती में प्रमुख सुधार:
एक स्वतंत्र, पेशेवर, विशेषज्ञ संगठन के रूप में एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। यह एजेंसी अराजपत्रित पदों की भर्ती के लिए कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगी।
प्रत्येक जिले विशेष रूप से आकांक्षी जिलों में एक परीक्षा केन्द्र स्थापित किया जाएगा।
सर्वश्रेष्ठ मेधावी और पेशेवर विशेषज्ञों को आकृष्ट करने के लिए इन निकायों में सीधी भर्ती सहित नियुक्त के एक सुदृढ़ तंत्र को विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया।
अनुबंध अधिनियम को मजबूत बनाया जाएगा।
आधिकारिक सांख्यिकीय पर नवीन राष्ट्रीय नीति हेतु:
एआई सहित नवीनतम प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहन।
व अत्याधुनिक डाटा संग्रहण, समेकित सूचना पोर्टल और समय से सूचना के प्रसार की दिशा में एक कार्य योजना।
भारत में 2022 में आयोजित होने वाले जी-20 की अध्यक्षता के लिए तैयारियां शुरू करने हेतु 100 करोड़ रुपये आवंटित।
पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास:
सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के इस्तेमाल से धन के अंतरण में सुधार।
बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय वित्त पोषण एजेंसियों की वित्तीय सहायता के लिए पहुंच में सुधार।
केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख का विकास:
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 30,757 करोड़ रुपये का प्रावधान।
केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए 5958 करोड़ रुपये का प्रावधान।
वित्तीय क्षेत्र
सार्वजनिक बैंकों में सुधार:
10 बैंकों को 4 बैंकों में परिणत किया गया।
3,50,000 करोड़ रुपये की पूंजी दी गई।
सार्वजनिक बैंकों में पारदर्शिता लाने तथा बेहतर पेशेवरवाद के लिए शासन में सुधार लाने पर जोर दिया गया।
कई सार्वजनिक बैंकों को अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए पूंजी बाजार में पहुंच के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
जमा बीमा तथा क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीडीसी ने जमा बीमा दायरे को प्रति जमाकर्ता 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की अनुमति दी।
जमाकर्ताओं के धन को सुरक्षित रखते हुए, एक सशक्त प्रणाली द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के स्वास्थ्य की निगरानी।
बैंकिंग नियमन अधिनियम में संशोधन द्वारा सहकारिता बैंकों का सशक्तिकरण:
पेशेवरवाद में वृद्धि।
पूंजी तक पहुंच में आसानी।
शासन में सुधार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ठोस कारोबार के लिए निर्देश।
ऋण वसूली के लिए एनबीएफसी की पात्रता सीमा घटाई गई।
500 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये का संसाधन।
1 करोड़ रुपये से 50 लाख रुपये का ऋण।
बैंकिंग प्रणाली में निजी पूंजी।
सरकार स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से आईडीबीआई बैंक में अपनी शेष हिस्सेदारी को निजी, खुदरा तथा संस्थागत निवेशकों को बेचेगी।
रोजगार के दौरान आवागमन में आसानी।
सार्वभौमिक पेंशन सुरक्षा में स्वत: प्रवेश।
धन की सुरक्षा के लिए अंतर-संचालनीय प्रणाली।
भारतीय पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण में संशोधन करके पीएफआरडीएआई की नियामक भूमिका को मजबूत किया जाएगा।
पीएफआरडीएआई से सरकार कर्मचारियों के लिए एनपीएस ट्रस्ट को अलग करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
सरकारी कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारियों द्वारा पेंशन ट्रस्ट की स्थापना हो पाएगी।
घटक नियामन नियमन अधिनियम 2011 के संशोधन द्वारा टीआरईडीएस के माध्यम से एमएसएमई का वित्तपोषण बढ़ाने में एनबीएफसी सक्षम बनेगा।
बैंकों द्वारा एमएसएमई के उद्यमियों के लिए सहायक ऋण प्रदान करने हेतु नई योजना: इसे अर्ध-प्रतिभूति के रूप में गिना जाएगा।
एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के माध्यम से पूरी गारंटी होगी।
सरकार द्वारा तदनुसार सीजीटीएमएसई के लिए धन जुटाया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एमएसएमई की ऋण पुनर्संरचना हेतु विन्डो को 31 मार्च तक एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा।
अब तक 5 लाख से अधिक एमएसएमई को लाभ मिला
एमएसएमई के लिए ऐप आधारित इनवायस फाइनांसिंग लॉन प्रोडक्ट की शुरूआत।
भुगतान में देरी की समस्या के निराकरण के लिए उठाया गया कदम।
एमएसएमई का निर्यात संवर्धन:
भेषज, मोटर वाहन पुर्जे तथा अन्य जैसे चुनिंदा क्षेत्रों के लिए
एक्सिम बैंक और सिडबी द्वारा 1000 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई।
प्रौद्योगिकी उन्नयन, अनुसंधान एवं विकास, कारोबार की कार्यनीति आदि के लिए सहायता।
वित्तीय बाजार
बांड बाजार को सशक्त बनाना।
कुछ विनिर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों की श्रेणियों को गैर निवासी निवेशकों के लिए भी पूरी तरह खोला जाएगा।
कारपोरेट बांडों में एफपीआई की सीमा को 9 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया।
अवसंरचना वित्तपोषण
103 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइप लाइन परियोजना की घोषणा की गई।
आईआईएफसीएल तथा एनआईआईएफ जैसी अवसंरचना वित्त कंपनियों की सहायता के लिए 22000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे।
आईएफएससी, गिफ्ट सिटी: इनमें अंतर्राष्ट्रीय वित्त तथा सर्वोत्तम डेटा प्रोसेसिंग का केन्द्र बनने की क्षमता है।
विनियामक के अनुमोदन से वैश्विक बाजार भागीदारों द्वारा व्यापार के लिए अतिरिक्त विकल्प के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज की स्थापना की जायेगी।
विनिवेश
सरकार आरंभिक सार्वजनिक पेशकश द्वारा एलआईसी में अपनी शेयर पूंजी का हिस्सा बेचने का प्रस्ताव करती है।
राजकोषीय प्रबंधन
15वां वित्त आयोग (एफसी)
15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 से संबंधित अपनी पहली रिपोर्ट दे दी है।
इसकी सिफारिशें महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में स्वीकार कर ली गई है।
2020-21 से शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट वर्ष के बाद वाले हिस्से में प्रस्तुत करेगा।
जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि
वर्ष 2016-17 और 2017-18 के संग्रहण में से देय बकाया राशि दो किस्तों में कोष में हस्तांतरित की जानी है।
इसके पश्चात, इस निधि में स्थानांतरित जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के द्वारा संग्रहण तक ही सीमित होगा।
केन्द्रीय प्रोयोजित योजना और केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं का कायाकल्प आवश्यक है।
उभरती हुई सामाजिक और आर्थिक जरूरतों के अनुसार बनना कल की जरूरत है।
सीमित सरकारी संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित हो।
संभावित राजकोषीय आंकड़ों की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर अब हाल में हुई डिबेट के बारे में यह आश्वासन है कि अपनाई गई प्रक्रिया एफआरबीएम अधिनियम के अनुरूप है।
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए
व्यय के संशोधित अनुमान- 26.99 लाख करोड़ रुपये।
प्राप्तियों के संभावित अनुमान- 19.32 लाख करोड़ रुपये।
वर्ष 2020-21 के लिए
जीडीपी की मामूली वृद्धि 10 प्रतिशत अनुमानित है।
प्राप्ति-22.46 लाख करोड़ रुपये अनुमानित।
व्यय- 30.42 लाख करोड़ रुपये।
अभी हाल में निवेश को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कर सुधार शुरू किये। हालांकि कर में अनुमानित उछाल में समय लगने का अनुमान।
संशोधित बजट अनुमान में 2019 राजकोषीय घाटा 3.8 प्रतिशत और बजट अनुमान 2020-21 में 3.5 प्रतिशत होने का अनुमार।
इसमें दो प्रमुख कारक है।
वर्ष 2019-20 के लिए 3.3 प्रतिशत और 2020-21 बजट अनुमान के लिए 3 प्रतिशत।
संशोधित अनुमान 2019-20 और बजट अनुमान 2020-21 दोनों के लिए एफआरबीएम अधिनियम की धारा 4(3) के साथ विचलन 0.5 प्रतिशत पर स्थिर है।
एफआरबीएम अधिनियम की धारा 4(2) में अप्रत्याशी राजकोषीय निहितार्थो के साथ अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधारों के कारण अनुमानित राजकोषीय घाटे से अंतर के लिए एक ट्रिगर तंत्र का प्रावधान करता है।
यह राजकोषीय पथ हमें सार्वजनिक निधियों ने निवेश की जरूरतों से समझौते किये बिना राजकोषीय मजबूती पथ के लिए प्रतिबद्ध करता है।
बाजार ऋण- निवल बाजार ऋण- 4.99 लाख करोड़ रुपये वर्ष 2019-20 के लिए और 5.36 लाख करोड़ रुपये 2020-21
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सुधारों का एक बड़ा हिस्सा पूंजीगत व्यय के लिए चला जाएगा जो 21 प्रतिशत से भी अधिक हो गया है।
प्रत्यक्ष कर
विकास को गति प्रदान करने के लिए कर ढांचा सरल बनाया गया, अनुपालन सरल बनाया गया और मुकदमें बाजी कम हुई।
व्यक्तिगत आय कर।
मध्यम कर के करदाताओं को बड़ी राहत।
नया और सरलीकृत व्यक्तिगत आय कर शासन प्रस्तावित।
मौजूदा छूट और कटौतियों (100 से अधिक) में से लगभग 70 को नये सरलीकृत प्रणाली में हटा दिया जाएगा।
नई प्रणाली से प्रति वर्ष 40,000 करोड़ रुपये की अनुमानित राजस्व फोरगोन होगा।
कॉरपोरेट कर।
15 प्रतिशत कर दर नई बिजली उत्पादन कंपनियों को प्रदान किया जायेगा।
भारतीय कॉरपोरेट कर दर अब दुनिया में सबसे कम है।
लाभांश वितरण कर (डीडीटी)
डीडीटी ने भारत को अधिक आकर्षक निवेश गंतव्य बनने से रोका।
होल्डिंग कंपनी को उसकी सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश के लिए छूट की अनुमति।
25,000 करोड़ रुपये का अनुमानित वार्षिक राजस्व परिव्यय
स्टार्ट अप
100 करोड़ रुपये तक के कुल कारोबार वाले स्टार्ट अप को 10 वर्षों में से लगातार तीन आकलंन वर्ष के लिए 100% छूट का लाभ।
ई-सॉप्स पर कर भुगतान से राहत।
एमएसएमई से कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा
कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कुल कारोबार की उच्चतम सीमा में पांच गुना वृद्धि करके मौजूदा 1 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव। यह वृद्धि केवल उन व्यवसायियों के लिए प्रयोज्य होगी जो अपने व्यवसाय संबंधी लेनदेन में 5% से कम नकद का प्रयोग करते हैं।
सहकारी संस्थाएं
सहकारी संस्थाओं और करोपोरेट क्षेत्र के बीच समानता लाने की कोशिश।
सहकारी संस्थाओं पर छूट/कटौती के बिना 10% अधिभार और 4% उपकर के साथ 22% कर भुगतान का विकल्प।
सहकारी संस्थाओं को वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) से छूट मिलेगी जिस प्रकार कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) से छूट मिलती है।
विदेशी निवेश के लिए कर रियायत
प्राथमिताओं वाले क्षेत्र में विदेशी सरकारों के सॉवरिन धन कोष द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा 31 मार्च 2024 से पहले और न्यूनतम तीन वर्षों की लॉक-इन अवधि के साथ अवसंरचना और अन्ध्य अधिसूचित क्षेत्रें में किए गए निवेश के संबंध में उनके ब्याज, लाभांश और पूंजीगत लाभों को 100% छूट देने का प्रस्ताव।
सस्ते मकान
सस्ते मकान की खरीद हेतु लिए गए ऋणों को देय ब्याज में 1.5 लाख रुपये तक अतिरिक्त छूट को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
31 मार्च 2021 तक अनुमोदिन सस्ते मकान की परियोजना के विकासकर्ता द्वारा अर्जित लाभों पर टैक्स हॉलिडे का प्रावधान।
कर को सरल बनाने के उपाय
आधार के जरिए तुरंत पैन का ऑनलाइन आवंटन।
प्रत्यक्ष कर से संबधित मुकदमेबाजी को कम करने के लिए 30 जून 2020 की समय सीमा के साथ 'विवाद से विश्वास' योजना।
ब्याज और जुर्माने में छूट-केवल 31 मार्च 2020 तक भुगतान के लिए विवाद कर का भुगतान।
31 मार्च 2020 के बाद लाभ लेने पर अतिरिक्त रकम का भुगतान।
यदि किसी स्तर पर अपील लंबित हो तो करदाता को लाभ।
आयकर कानून में संशोधन के जरिए फेसलेस अपील की सुविधा
धर्मार्थ संस्थाओं के लिए:
दान प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर करदाता की विवरणी में दानकर्ता की पूर्व सूचना देने का प्रावधान।
पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक करने का प्रस्ताव।
नई और मौजूदा सभी धर्मार्थ संस्थाओं को एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या (यूआरएन) जारी की जाएगी।
नई धर्मार्थ संस्थाओं को तीन वर्षों के लिए अनंतिम पंजीकरण देने का प्रावधान।
सीबीडीटी करदाताओं के चार्टर को स्वीकार करेंगे।
अप्रत्यक्ष कर
जीएसटी
इनवॉइस मांगने वाले ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए नकद प्रोत्साहन व्यवस्था।
1 अप्रैल 2020 से परीक्षण के तौर पर सरलीकृत विवरणी का क्रियान्वयन किया जाएगा। इस विवरणी को फाइल करना आसान बनाया जाएगा। इसकी विशेषताओं में शून्य विवरणी के लिए एसएमएस आधारित फाइलिंग, विवरणी पूर्व फाइलिंग उन्नत इनपुट कर क्रेडिट प्रवाह और समग्र सरलीकरण संग्रह।
ग्राहक इनवॉइस के लिए जीएसटी के प्रस्तावित मानदंडों पर आधारित डायनामिक क्यूआर कोड केंद्रीकृत प्रणाली में महत्वपूर्ण सूचनाओं को रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
गैर मौजूद इकाइयों की छटनी के लिए करदाताओं का आधार आधारित सत्यापन।
उल्टे कर ढांचे से निपटने के लिए जीएसटी दर ढांचे को युक्तिसंगत बनाया जाएगा।
सीमा शुल्क
सीमा शुल्क को फुटवियर पर 25% से बढ़ाकर 35% करने और फर्नीचर वस्तुओं पर 20% से बढ़ाकर 25% करने का प्रावधान।
न्यूज प्रिंट और हल्के कोटेड पेपर के आयात पर बुनियादी आयात शुल्क को 10% से घटाकर 5% किया गया।
इलेक्ट्रिक वाहन और मोबाइल के पुर्जो पर सीमा शुल्क की दरों में संशोधन।
चिकित्सा उपकरणों के आयात पर 5% स्वास्थ्य उपकर जो बीसीडी से छूट से अतिरिक्त होगा।
फ्यूज, रसायन और प्लास्टिक जैसे कच्चे माल पर सीमा शुल्क में कटौती।
वाहनों के कलपूर्जे, रसायन आदि कुछ वस्तुएं जिनका घरेलू उत्पादन भी होता है, पर सीमा शुल्क में वृद्धि।
व्यापार नीति के उपाय
एफटीए के तहत आयात की उचित जांच के लिए सीमा शुल्क अधिनियम में संशोधन।
कुछ संवेदनशील वस्तुओं के लिए मूल उद्गम की आवश्यकताओं संबंधी नियमावली की समीक्षा होगी।
आयात में वृद्धि को एक व्यवस्थित तरीके से विनियमित करने के लिए सेफगार्ड ड्यूटी संबंधी प्रावधान।
वस्तुओं की डंपिंग को रोकने और सब्सिडीयुक्त वस्तुओं के आयात पर लगाम लगाने के लिए प्रावधानों को सुदृढ़ किया जाएगा।
क्राउड सोर्सिंग के लिए सीमा शुल्क से छूट की समीक्षा का सुझाव।
सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव, बीडी पर शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं।
कपड़ा क्षेत्र को लाभ देने के लिए पीटीए पर डंपिंगरोधी शुल्क खत्म।
भारतीय अर्थव्यवस्था की उपलब्धियां
भारत और विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
वर्ष 2014 से 2019 के दौरान करीब 4.5% की औसत मुद्रास्फीति के साथ 7.4% की औसत वृद्धि रही।
वर्ष 2006 से 2016 के दौरान 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया गया।
भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2014-19 के दौरान बढ़कर 284 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा, जो वर्ष 2009-14 के दौरान 190 अरब अमेरिकी डॉलर रहा था।
केंद्र सरकार का ऋण घटकर जीडीपी के 48.7% (मार्च 2019) पर, जो मार्च 2014 में 52.2% था।
दो प्रमुख उपलब्धियां
प्रौद्योगिकी का प्रसार (एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, बायो इनफॉर्मेटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमता)
भारत में उत्पादक आयु समूह में अब तक के सर्वाधिक लोग मौजूद।
जीएसटी ने व्यवस्था की तमाम बाधाओं को दूर किया है।
डिजिटल क्रांति से संचालित भारत की वैश्विक नेतृत्व स्थिति को बरकरार रखने के लिए भविष्य के लक्ष्य
डिजिटल गवर्नेंस के जरिए सेवाओं की निर्बाद डिलिवरी।
नेशनल इंफास्ट्रक्चर पाइपलाइन के जरिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार।
आपदारोधी के जरिए जोखिम को दूर करना।
पेंशन एवं बीमा में विस्तार के जरिए सामाजिक सुरक्षा।

कर योग्य आय के स्लैब (रुपये)

मौजूदा कर दरें	नई कर दरें
0 से 2.5 लाख	छूट	छूट
2.5 से-5 लाख	5%	5%
5 से 7.5 लाख	20%	10%
7.5 से 10 लाख	20%	15%
10 से 12.5 लाख	30%	20%
12.5 से 15 लाख	30%	25%
15 लाख से ऊपर	30%	30%

कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिये होम्योपैथी

शिमला/शैल। आप सभी को अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जानना आवश्यक है कि नोवल कोरोना वायरस का प्रकोप चीन में चल रहा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों से भी कई मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस बीमारी के लक्षण सामान्य सर्दी-जुकाम से लेकर गंभीर बीमारियों जैसे मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (एमईआरएस)- सीओवी और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (सार्स-सीओवी) जैसे है।

क्या हैं लक्षण?

बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई इसके आम लक्षण हैं।

खुद को और दूसरों को इस बीमारी से कैसे बचाएं?

यदि आपने हाल में चीन की यात्रा की है (पिछले 14 दिनों के भीतर) या किसी गैर-पंजीकृत व्यक्ति से संपर्क किया है तो आपको यह सलाह दी जाती है।

अपनी वापसी के बाद 14 दिनों तक घर में अलग-थलग रहें।

अलग कमरे में सोएं।

परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कम संपर्क करें और आगंतुकों से मुलाकात को नजरअंदाज करें।

खांसने और छींकने पर नाक और मुंह ढक लें।

सर्दी या फ्लू जैसे लक्षण वाले किसी व्यक्ति के निकट संपर्क में आने से बचें। (किसी भी व्यक्ति से कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें)।

घर में हर किसी को हर समय हाथ की सफाई रखनी चाहिए और हाथ धोना चाहिए, विशेष तौर पर:

छींकने या खांसने के बाद।

बीमार की देखभाल के समय।

भोजन तैयार करने से पहले और बाद में।

खाने से पहले।

शौचालय उपयोग के बाद।

जब हाथ गंदे होते हैं।

जानवरों या जानवरों के अपशिष्ट के संपर्क में आने के बाद।

यदि आपको चीन से लौटने के 28 दिनों के भीतर बुखार, खांसी या सांस लेने में कठिनाई होती है तो:

अधिक जानकारी के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर 91-11-2397 8046 पर संपर्क करें।

तुरंत मास्क पहनें और नजदीकी चिकित्सा केंद्र जाकर परामर्श लें।

घबराएं नहीं

आयुर्वेदिक परंपराओं के अनुसार, रोकथाम प्रबंधन के उपाय

एक रहस्यमय नया कोराना वायरस तेजी से फैल रहा है। पूरा विश्व इसके कोरोना वायरस के भयभीत है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत अनुसंधान परिषदों ने भारतीय पारंपरिक औषधि प्रणालियां -आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी पर आधारित चेतावनी जारी की है।

आयुर्वेदिक परंपराओं के अनुसार, रोकथाम प्रबंधन के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए गए हैं।

- व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें।
- साबुन और पानी से अपने हाथों को कम से कम 20 सेकैंड तक धोएं।
- कम से कम 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को अक्सर साबुन और पानी से धोएं।
- शदांग पनिया (मुस्ता, परपाट, उशीर, चंदन, उडिच्या और नागर) प्रसंस्कृत पानी (1 लीटर पानी में 10 ग्राम पाउडर डाल कर उबालें, जब तक यह आधा तक कम न हो जाए) पी लें। इसे एक बोतल में स्टोर करें और प्यास लगने पर पिएं।
- बिना धोए हाथों से अपनी आँखें, नाक और मुँह छूने से बचें।
- जो लोग बीमार हैं उनसे निकट संपर्क से बचें।
- बीमार होने पर घर पर रहें।
- खांसी या छींक के दौरान अपना चेहरा ढंक लें और खांसने या छींकने के बाद अपने हाथों को धो लें।
- अक्सर छुई गए वस्तुओं और सतहों को साफ करें।
- संक्रमण से बचने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर यात्रा करते समय या काम करते समय एक एन 95 मास्क का उपयोग करें।
- यदि आपको कोरोना वायरल संक्रमण का संदेह है, तो मास्क पहनें और तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल से संपर्क करें।
- आयुर्वेदिक प्रथाओं के अनुसार रोगनिरोधी उपाय/ इम्यूनोम डब्लूटरी ड्रग्स।
- स्वस्थ आहार और जीवन शैली के माध्यम से प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए उपाय किए जाएंगे।
- अगस्त्य हरितकी 5 ग्राम, दिन में दो बार गर्म पानी के साथ।
- शेषमणि वटी 500 मिलीग्राम दिन में दो बार।
- त्रिकटु (पिप्पली, मारीच और शुंठी) पाउडर 5 ग्राम और तुलसी 3-5 पत्तियां (1-लीटर पानी में उबालें, जब तक यह 1/2 लीटर तक कम नहीं हो जाता है और इसे एक बोतल में रख लें) इसे आवश्यकतानुसार और जब चाहे तब घूंट में लेते रहें।
- प्रतिमार्स नास्य : प्रत्येक नथुने में प्रतिदिन सुबह अनु तेल/तिल के तेल की दो बूंदें डालें।

यह सलाह केवल सूचना के लिए है और इसे केवल पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सकों के परामर्श से अपनाया जाएगा।

आयुष मंत्रालय की पहल से, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी (सीसीआरएच) ने 28 जनवरी, 2020 को अपने वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड की 64वीं बैठक में कोरोमा वायरस संक्रमण से बचाव के तरीकों और उपायों पर चर्चा की। विशेषज्ञों के समूह ने सिफारिश की है कि होमियोपैथी दवा आर्सेनिकम एल्बम 30 को कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ रोगनिरोधी दवा के रूप में अपनाया जा सकता है, जिसे आईएलआई की रोकथाम के लिए भी सुझाया गया है। इसने आर्सेनिकम एल्बम 30 की एक डोज की सिफारिश की है, जो प्रतिदिन खाली पेट में तीन दिनों के लिए इस्तेमाल की जाती है। खुराक को एक महीने के बाद दोहराया जाना चाहिए ताकि समुदाय में प्रबल होने वाले कोरोना वायरस संक्रमण के उसी शेडूल का पालन किया जा सके। इसके अलावा विशेषज्ञ समूह ने सलाह दी है कि रोग की रोकथाम के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सुझाए स्वास्थ्यकर उपायों का जनता द्वारा पालन किया जाना चाहिए।

कोरोना वायरस के लक्षण प्रबंधन में यूनानी औषधियां उपयोगी

कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण प्रबधन में उपयोगी यूनानी दवाएं

1. शरबत उन्नाब 10-20 मिली दिन में दो बार
2. तिर्यकअर्बा 3-5 ग्राम दिन में दो बार
3. .तिर्यक नजला 5 ग्राम दिन में दो बार
4. खमीरा मार्वारिद 3-5 ग्राम दिन में एक बार
5. स्कैल्प और छाती पर रोगन बाबूना/रोगन मॉम/कफूरी बाम से मालिश करें
6. नथुने में रोगन बनाफशा धीरे लगाएं
7. अर्क अजीब 4-8 बूंद ताजे पानी में लें और दिन में चार बार इस्तेमाल करें
8. बुखार होने की स्थिति में हब ए एकसीर बुखार 2 की गोलियां गुनगुने पानी के साथ दिन में दो बार लें।
9. 10 मिली शरबत नाजला 100 मिली गुनगुने पानी में दो बार रोजाना पिएं।
10. कुरस ए सुआल 2 गोलियों को प्रतिदिन दो बार चबाना चाहिए।
11. शरबत खाकसी के साथ-साथ निम्नलिखित एकल यूनानी दवाओं के अर्क का सेवन करना बहुत उपयोगी है:

क्र.स.	यूनानी दवाई का नाम	सामान्य नाम	वानस्पति नाम
1.	चिरायता इंडियन	जेंटियन स्वेर्तिया	चिराता कर्स्ट
2.	कासनी	कॉमन चिकोरी	चिचोरीयमींटीबस लिन
3.	अफसन्टीस	कॉमन सेजवार्ट	आर्टीमिसिया एबसिंथिसम लिन
4.	नानखावा	अजोवान	ट्राचिस्परमूमामी स्प्रेग
5.	गावजावेन	बोरेज	बोरेज आफिसीनालिस लिन
6.	नाम छाल	मारगोसा	आजारिराक्टइंडिका ए.जुस
7.	सादकूफी	साइप्री ऑल	साइपरूस्कैरिअस आर.बीआर

निम्नलिखित यूनानी दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है-

क्र.स.	यूनानी दवाई का नाम	सामान्य नाम	वानस्पतिक नाम	मात्रा
1.	बेहिदाना	क्यून्स	साइडोनिया ओबलोंगा	3 ग्राम
2	उन्नाब	जुजुबी	जीजीफुस जुजुबी लिन	7
3.	सपिस्तान	एसिरियन पल्म	कोरडिया मिक्सा लिन	7
4.	दारचीनी	सीन्नामोम	सिन्नामोमुमजेलेनीकम	3 ग्राम
5.	बनाफसा	स्विट वायलेट	वियोला ओडोराटा लिन	5 ग्राम
6.	बर्ज-ए-गोजाबान	बोरेज	बोरेजो ऑफीसिनालिस लिन	7 ग्राम

गले में जख्म होने पर निम्नलिखित यूनानी दवाओं का इस्तेमाल करें -

क्र.स.	यूनानी दवाई का नाम	वानस्पतिक नाम	मात्रा
1.	खसखस	पापावरसोमनीफेरम	12 ग्राम
2.	बाजरूलबंज	हायोसियामूसनिगर	12 ग्राम
3.	पोस्ट खसखस	पापावरसोमनीफेरम	12 ग्राम
4.	बर्ज-ए-मोर्द	(हबुलास) मृतुस्कोमुनिस	12 ग्राम
5.	तुख्म-ए-काहू मुकासर	लेक्टुका सतीवा	12 ग्राम
6.	गुलेसुर्ख	रोसा डमासेना	12 ग्राम

आहार संबंधी सलाह

यूनानी चिकित्सकों के सुझावों के अनुसार सुपाच्य, हल्का एवं नरम आहार के लिए सलाह दी जाती है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा गर्भपात (संशोधन) विधेयक, 2020 को मंजूरी दी

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा गर्भपात अधिनियम, 1971 में संशोधन करने के लिए चिकित्सा गर्भपात (एमटीपी) (संशोधन) विधेयक, 2020 को मंजूरी दी है। इस विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा।

प्रस्तावित संशोधन की महत्वपूर्ण बातें:

- गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक गर्भपात कराने के लिए एक चिकित्सक की राय लेने की जरूरत का प्रस्ताव और गर्भावस्था के 20 से 24 सप्ताह तक गर्भपात कराने के लिए दो चिकित्सकों की राय लेना जरूरी होगा।
- विशेष तरह की महिलाओं के गर्भपात के लिए गर्भावस्था की सीमा 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह करना जिन्हें एमटीपी नियमों में संशोधन के जरिए परिभाषित किया जाएगा और इनमें दुष्कर्म पीड़ित, सगे-संबंधियों के साथ यौन संपर्क की पीड़ित और अन्य असुरक्षित महिलाएं (दिव्यांग महिलाएं, नाबालिग) भी शामिल होंगी।
- मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच में पाई गई शारीरिक भ्रूण संबंधी विषमताओं के मामले में गर्भावस्था की ऊपरी सीमा लागू नहीं होगी। मेडिकल बोर्ड के संगठक, कार्य और अन्य विवरण कानून के नियमों के तहत निर्धारित किए जाएंगे।
- जिस महिला का गर्भपात कराया जाना है उनका नाम और अन्य जानकारियां उस वक्त कानून के तहत निर्धारित किसी खास व्यक्ति के अलावा किसी और के सामने नहीं किया जाएगा।

महिलाओं के लिए उपचारात्मक, सुजनन, मानवीय या सामाजिक आधार पर सुरक्षित और वैध गर्भपात सेवाओं का विस्तार करने के लिए चिकित्सा गर्भपात (संशोधन) विधेयक, 2020 लाया जा रहा है। प्रस्तावित संशोधन में कुछ उप-धाराओं का स्थानापन्न करना, मौजूदा गर्भपात कानून, 1971 में निश्चित शर्तों के साथ गर्भपात के लिए गर्भावस्था की ऊपरी सीमा बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ धाराओं के तहत नए अनुच्छेद जोड़ना और सुरक्षित गर्भपात की सेवा एवं गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता किए बगैर कड़ी शर्तों के साथ समग्र गर्भपात देखभाल को पहले से और अधिक सख्ती से लागू करना है।

यह महिलाओं की सुरक्षा और सेहत की दिशा में उठाया गया ठोस कदम है और इससे बहुत महिलाओं को लाभ मिलेगा। हाल के दिनों में अदालतों में कई याचिकाएं दी गई जिनमें भ्रूण संबंधि विषमताओं या महिलाओं के साथ यौन हिंसा की वजह से गर्भधारण के आधार पर मौजूदा स्वीकृत सीमा से अधिक गर्भावस्था की अवधि पर गर्भपात कराने की अनुमति मांगी गई। जिन महिलाओं का गर्भपात जरूरी है उनके लिए गर्भावस्था की अवधि में प्रस्तावित बढ़ोतरी उनके आत्म-सम्मान, स्वायत्तता, गोपनीयता और इंसाफ को सुनिश्चित करेगी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात सेवाएं उपलब्ध कराने और चिकित्सा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न हितधारकों और मंत्रालयों के साथ वृहद विचार-विमर्श के बाद गर्भपात कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

shailsamachar.co.in

बड़े मीडिया संस्थान बिकने को तैयार दिखे-कोबरा पोस्ट के स्टिंग आप्रेशन में सनसनी खेज़ खुलासा

शिमला/शैल। देश के बड़े मीडिया संस्थानों की विश्वसनीयता पर लम्बे अरसे से सवाल उठने शुरू हो गये हैं। यह आरोप लग रहा है कि मीडिया संस्थानों मे संपादकों का स्थान मालिकों ने ले लिया है और मालिक 'यथा राजा तथा प्रजा' हो गये हैं। इसी के चलते बहुत सारे पत्रकार भी पत्रकारिता के सरोकारों को छोड़कर मालिकों और राजा की हां में हां मिलाने वाले हो गये हैं। पिछले दिनो इंडिगो की फ्लाईट में जिस तरह का संवाद पत्रकार अर्णव गोस्वामी और व्यंग्यकार कुणाल कामरा के बीच घटा है और उस पर केन्द्रिय मन्त्री हरदीप पुरी ने जो संज्ञान लेकर कामरा की फ्लाईटस पर छः माह का प्रतिबन्ध लगा दिया है तथा इस पर अर्णव गोस्वामी ने कोई प्रतिक्रिया नही दी है। इससे मीडिया की विश्वसनीयता के आरोपों को स्वतः ही बल मिल जाता है। आज देश जिस दौर से गुजर रहा है उसमें मीडिया की भूमिका पर फिर सवाल उठने लगे। इन सवालों से कोबरा पोस्ट के स्टिंग आप्रेशन को पाठकों के सामने रखने की आवश्यकता लग रही है। यह स्टिंग आप्रेशन लोकसभा चुनावों से पहले हुआ था लेकिन इस पर संबधित मीडिया ने कोई बड़ी प्रतिक्रिया/ या कारवाई नही उठाई थी। आज 2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों में 347 चुनाव क्षेत्रों में जिस तरह की विसंगतियां पायी गयी हैं उसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर है जिस पर चुनाव आयोग को जवाब के लिये नोटिस जारी हो चुका है। इसी सबको ध्यान में रखते हुए कोबरा पोस्ट का यह स्टिंग वायर से साभार शैल के पाठकों के सामने रखा जा रहा है। -संपादक

मीडिया का सूरते हाल

अपनी खोजी पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाले कोबरापोस्ट ने देश के मीडिया जगत की पोल खोलने वाले खुलासे की दूसरी किश्त शुक्रवार को जारी की।

गौरतलब है कि 26 मार्च को जारी हुई कोबरापोस्ट के इस खुलासे, जिसे 'ऑपरेशन 136' नाम दिया गया है, की पहली किश्त में देश के कई नामचीन मीडिया संस्थान सत्ताधारी दल के लिए चुनावी हवा तैयार करने के लिए राजी होते नजर आए थे।

इनमें इंडिया टीवी, दैनिक जागरण, सब टीवी नेटवर्क (श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क), जी सिनर्जी एंड डीएनए, हिंदी खबर, 9एक्स टशन, समाचार प्लस, एचएनएन लाइव, पंजाब केसरी, स्वतंत्र भारत, स्कूपव्हूप, रेडिफ डॉट कॉम, आज (हिंदी डेली), साधना प्राइम न्यूज, अमर उजाला, यूएनआई जैसे मीडिया जगत के बड़े नाम शामिल थे।

जिन चार बिंदुओं पर पहली किश्त में खुफिया कैमरे की सहायता से कोबरापोस्ट ने मीडिया घरानों का काला सच उजागर किया था, उन्हीं बिंदुओं को आधार बनाकर इस दूसरी किश्त में टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, जी न्यूज, स्टार इंडिया, नेटवर्क 18, सुवर्णा, एबीपी न्यूज, दैनिक जागरण, रेडियो वन, रेड एफएम, लोकमत, एबीएन आंध्र ज्योति, टीवी-5, दिनामलार, बिग एफएम, के न्यूज, इंडिया वॉयस, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, पेटीएम, भारत समाचार, स्वराज एक्सप्रेस, बर्तमान, दैनिक संवाद, एमवीटीवी और ओपन मैगजीन से संपर्क साधा।

पहला बिंदु था, मीडिया संस्थान अभियान के शुरुआती और पहले चरण में हिंदुत्व का प्रचार करेगा, जिसके तहत धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जाएगा।

दूसरा, इसके बाद विनय कटियार, उमा भारती, मोहन भागवत और दूसरे हिंदुवादी नेताओं के भाषणों को बढ़ावा देकर सांप्रदायिक तौर पर मतदाताओं को जुटाने के लिए अभियान खड़ा किया जाएगा।

तीसरा, जैसे ही चुनाव नजदीक आ जाएंगे, राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को टारगेट किया जाएगा।

राहुल गांधी, मायावती और अखिलेश यादव जैसे विपक्षी दलों के बड़े नेताओं को पप्पू, बुआ और बबुआ कहकर जनता के सामने पेश किया जाएगा, ताकि चुनाव के दौरान जनता उन्हें गंभीरता से न ले और मतदाताओं का रुख अपने पक्ष में किया जा सके।

चौथा, मीडिया संस्थानों को यह अभियान उनके पास उपलब्ध सभी प्लेटफॉर्म पर जैसे- प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, डिजिटल, ई-न्यूज पोर्टल, वेबसाइट के साथ-साथ सोशल मीडिया जैसे-फेसबुक और ट्विटर पर भी चलाना होगा।

कोबरापोस्ट के लिए पूरी तहकीकात पत्रकार पुष्प शर्मा ने श्रीमद् भगवद गीता प्रचार समिति, उज्जैन का प्रचारक बनकर और खुद का नाम आचार्य छत्रपाल अटल बताकर की। उन्होंने पूरी पड़ताल के दौरान हर जगह अपनी एक ही पहचान बताई और एक अनुभवी गीता प्रचारक के वस्त्र पहने। उन्होंने दावा किया कि वे आईआईटी दिल्ली और आईआईएम बेंगलुरु के छात्र रहे हैं।

पुष्प ने मीडिया संस्थानों को झांसे में लेने के लिए स्वयं को राजस्थान के झुंझुनू का रहने वाला बताया और कहा कि वे अब ऑस्ट्रेलिया में बस गए हैं और स्कॉटलैंड में अपनी ई-गेमिंग कंपनी चलाते हैं।

कभी-कभी पुष्प ने अपनी सभी मान्य पहचानों का उपयोग किया, ताकि वे अपना एक अखिल भारतीय चरित्र दिखाकर मीडिया मालिकों को प्रभावित कर सकें। उन्होंने बताया कि वे अपने संगठन के आदेश पर आने वाले चुनावों में सत्ताधारी पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए एक गुप्त मिशन पर निकले हैं।

उन्होंने अपने अभियान को चलाने के एवज में मोटी रकम देने की बात कही। लालच में आकर सभी मीडिया घरानों ने एजेंडे को हाथों-हाथ लिया।

कोबरापोस्ट वेबसाइट का दावा है कि मौके को भुनाने के लिए लगभग सभी मीडिया संस्थानों ने अपने सिद्धातों से समझौता कर लिया। हालांकि, दो संस्थानों ने ऐसा न करके एक मिसाल भी पेश की। पश्चिम बंगाल की वर्तमान पत्रिका और दैनिक संवाद ने कोबरापोस्ट के पत्रकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

बाकी सभी संस्थान आध्यात्मिकता और धार्मिक प्रवचन के जरिए हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए सहमत होते नजर आए। सांप्रदायिक उद्देश्य के साथ मतदाताओं का धरुवीकरण करने संबंधित सामग्री प्रकाशित करने पर सहमत हुए।

सभी संस्थानों ने सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए उसके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने पर भी सहमति जताई।

यहां तक कि इस सौदेबाजी का हिस्सा बनने के लिए मीडिया घरानों को काले धन के रूप में नकद भुगतान लेने के लिए भी राजी होते दिखे और तीसरे पक्ष या किसी एजेंसी के माध्यम से काले धन को सफेद करके उसे अन्य रास्तों से स्वीकार करने में भी उन्हें आपत्ति नहीं थी।

जो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाती है और जिससे निष्पक्षता के साथ सरकार की आलोचना और अवाम की व्यथा को आवाज देने की उम्मीद की जाती है, कोबरापोस्ट के 'ऑपरेशन 136' की दूसरी कड़ी में उसी मीडिया समूह के मालिक बातचीत में खुद को हिंदुत्व और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की विचारधारा से जुड़े होने की बात गर्व के साथ कहते नजर आ रहे थे।

साथ ही सांप्रदायिक राह के साथ मतदाताओं को धरुवीकृत करने की क्षमता के साथ सामग्री प्रकाशित करने पर सहमत हुए।

कोबरापोस्ट द्वारा जारी वीडियो क्लिपिंग में कई ऐसे भी हैं, जो सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ अपमानजनक कंटेंट पोस्ट और प्रकाशित करने के लिए तैयार हुए।

इनमें से कई इस सौदे को हर हाल में हासिल करने के लिए और अपने ग्राहक के काले धन को खपाने के लिए कैश पेमेंट के लिए भी तैयार दिखे।

इनमें से कई संस्थानों के अधिकारी थर्ड पार्टी या एजेंसी के माध्यम से काले धन को सफेद कर उसे दूसरे रास्ते से हासिल करने के लिए सहमत हुए। यहां तक कि कुछ ने तो आंगड़िया जैसे हवाला के रास्ते का भी सुझाव दिया।

जाहिर है कि इससे पत्रकारिता के मूल सिद्धांत, उसकी निष्पक्षता पर सवालिया निशान तो लगता ही है।

उक्त मीडिया घरानों ने केवल सत्ताधारी दल के पक्ष में स्टोरी चलाने पर ही सहमति नहीं जताई, बल्कि विरोधी दलों के खिलाफ बाकायदा एक जाल बुनकर अपनी टीम से उनकी तहकीकात कराने और उनके खिलाफ स्टोरी चलाने पर भी रजामंदी जाहिर की।

कई संस्थान इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बाकायदा विज्ञापन बनाने पर भी सहमत हुए। वे अपनी क्रिएटिव टीम तक को इस अभियान के उद्देश्य को पूरा करने में झोंकने के लिए तैयार थे।

शर्त के अनुसार, सभी ने यह अभियान उनके पास उपलब्ध तमाम प्लेटफॉर्म जैसे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, एफएम रेडियो, न्यूज पोर्टल, वेबसाइट और सोशल मीडिया पर चलाने की हामी भरी।

कोबरापोस्ट के मुताबिक कुछ ने तो केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, मनोज सिन्हा, जयंत सिन्हा, मेनका गांधी और उनके पुत्र वरुण गांधी के खिलाफ खबरें चलाने पर भी सहमति दी।

यहां तक कि ये संस्थान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार में भाजपा के सहयोगी दलों के बड़े नेताओं जैसे अनुप्रिया पटेल, ओमप्रकाश राजभर और उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भी खबरें चलाने के लिए तैयार थे।

साथ ही, कुछ संस्थानों को आंदोलन करने वाले किसानों को माओवादियों के तौर पर प्रस्तुत करने से भी परहेज नहीं था। वे राहुल गांधी जैसे नेताओं की 'चरित्र हत्या' करने के लिए खास सामग्री तैयार करने और उसे बढ़ावा देने को भी राजी हो गए।

चलाई जाने वाली सामग्री को इस तरह पेश किया जाए कि वह पेड न्यूज न दिखे, इसकी भी रूपरेखा उनके पास थी।

लगभग सभी एफएम रेडियो स्टेशन अपने खाली एयर टाइम पर किसी खास ग्राहक को एकाधिकार देने के लिए भी तैयार हुए।

कोबरापोस्ट ने कहा है कि स्टिंग ऑपरेशन में उसके पत्रकार को उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का भी सहयोग मिला। राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने पुष्प शर्मा को स्टिंग के दौरान पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई का प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के तौर पर पेश होने में मदद की।

वहीं, ऑपरेशन 136 की दूसरी कड़ी कोबरापोस्ट द्वारा जारी करने से पहले ही दैनिक भास्कर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया। इसलिए कोबरापोस्ट द्वारा खुलासे से अखबार का नाम दूर रखा गया है।

कोबरापोस्ट ने कहा है, '24 मई 2018 को मिले माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशानुसार हम अपनी तहकीकात में दैनिक भास्कर समूह को फिलहाल शामिल नहीं कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने हमारा पक्ष सुने बिना ही दैनिक भास्कर के पक्ष में आदेश पारित किया है और हम इस आदेश को चुनौती देंगे।'

ऑपरेशन 136 की दूसरी कड़ी में कोबरापोस्ट का दावा है कि तकनीक के इस दौर में किसी भी खास एजेंडे को मोबाइल ऐप के जरिए जनता तक पहुंचाने में एक प्रभावी माध्यम ढूंढा जा सकता है। जिसके संबंध में उन्होंने पेटीएम का उदाहरण पेश किया है और कहा है कि किसी खास एजेंडे को जन-जन तक पहुंचाने के लिए पारंपरिक मीडिया जैसे टीवी चैनलों या अखबारों की जरूरत नहीं है। एक साधारण से मोबाइल ऐप के जरिए भी पलक झपकते ही वो कर सकते हैं जो पारंपरिक मीडिया की मदद से नहीं किया जा सकता है।

स्टिंग के अनुसार पेटीएम के बड़े अधिकारियों से हुई बातचीत में न केवल इनकी भाजपा विचारधारा का खुलासा हुआ बल्कि संघ के साथ कंपनी के संबंधों की भी बात सामने आई है और यह भी साबित हुआ है कि पेटीएम पर उपभोक्ताओं का डाटा सुरक्षित नहीं है, जैसा कि कंपनी का दावा है।

इस पूरी तहकीकात को 'ऑपरेशन 136' नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वर्ष 2017 के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत विश्व में 136वें पायदान पर है।

वहीं, खुलासे में यह भी सामने आया कि अधिकांश मीडिया घराने, खासकर क्षेत्रीय मीडिया घराने या तो राजनेताओं के स्वामित्व में हैं या राजनेताओं द्वारा संरक्षित हैं। जैसे कि 'एबीएन आंध्र ज्योति' एक तेलुगू टीवी समाचार चैनल है, जो तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू द्वारा संरक्षित है।

इसी चैनल के चीफ मार्केटिंग मैनेजर ईवी शशिधर कैमरे पर कहते सुने जा सकते हैं कि उनका चैनल उस बड़े पैमाने पर स्थापित है कि वह कर्नाटक के चुनावी नतीजों को भी प्रभावित कर सकता है।

तो, यह भी सामने आया है कि चेन्नई से प्रकाशित 70 साल पुराने 'तमिल दैनिक' के मालिक लक्ष्मीपति आदिमूलम और उनका परिवार भी संघ को लेकर गहरी निष्ठा रखता है।

साथ ही ऑपरेशन के दौरान सामने आया कि मोदी के प्रचार में मदद करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए साफ्टवेयर को भी आयात किया गया है।

इस तहकीकात के दौरान कुछ वरिष्ठ पत्रकारों की निष्ठा पर भी सवाल उठे जिनमें पुरुषोत्तम वैष्णव जो जी मीडिया के रीजनल न्यूज चैनलों में सीईओ हैं, अपनी खोजी टीम से राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ स्टोरी कराने और उनके जरिए उन्हें झुकाने पर हामी भरते नजर आए।

स्टिंग के दौरान पुरुषोत्तम ने कहा, 'कंटेंट में जो आपकी तरफ से इनपुट आएगा वो शामिल हो जाएगा। हमारी तरफ से जो कंटेंट जनरेट होगा तो खोजी पत्रकारिता हम करते हैं, करवा देंगे, जितना हम लोगों ने की है उतना किसी ने नहीं की होगी। वो हम लोग करेंगे।'

कोबरापोस्ट का दावा है कि उनकी जांच यह स्थापित करती है कि आरएसएस न केवल न्यूजरूम में बल्कि भारतीय मीडिया घरों के बोर्ड रूम में भी गहराई से घुसपैठ कर चुका है। वे सत्तारूढ़ दल के प्रति अपनी निष्ठा को स्वीकार करते हैं।

इस संबंध में उदाहरण देते हुए कोबरापोस्ट की ओर से कहा गया है कि बिग एफएम के सीनियर बिजनेस पार्टनर अमित चौधरी अपनी कंपनी और सत्तारूढ़ दल के बीच रिश्ते को स्वीकार करते हैं और कहते हैं, 'वैसे भी रिलायंस बीजेपी का सपोर्टर ही है।'

वहीं, ओपन मैगजीन के जिन अधिकारियों से बात की गई, वे कहते देखे जा सकते हैं, 'आचार्य जी शायद आप भी बिजी रहते हैं आप शायद 'ओपन' देखते नहीं हैं रेगुलर। मैं आपको एक बात बताता हूं 'ओपन' जितना सपोर्ट करते हैं संगठन का शायद ही कोई करता होगा।'

वहीं, टाइम्स ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर विनीत जैन और उनके सहयोगी कार्यकारी अध्यक्ष संजीव शाह के साथ भुगतान नकद में करने से संबंधित बातचीत का जिक्र है जहां दोनों अधिकारी नकद में भुगतान लेने से आनाकानी के बाद स्वयं ही नकद रकम को अलग-अलग तरीकों से रूट करने की सलाह देते है। विनीत जैन कहते नजर आते हैं, 'और भी व्यापारी होंगे जो हमें चेक देंगे, आप उन्हें नकद दे दो।